[2020] 7 एस. सी. आर 695

भारत का संघ और एक और ई. टी. सी. ईटीसी।

वी.

एम/एस वी. वी. एफ. लिमिटेड और एक और ई. टी. सी. ईटीसी।

(सिविल अपील सं। 2256-2263 2020 का)

22 अप्रैल, 2020

[अरुण मिश्रा, एम. आर. शाह और बी. आर. गवई, जे. जे.]

सिद्धांत/सिद्धांत-राजकोषीय मामलों में प्रतिज्ञात्मक रोक का सिद्धांत-सी. ए. संख्या में। 2256-2263 2010 से,

भूकंप प्रभावित कच्छ जिले में नए उद्योग स्थापित करने के लिए छूट/प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी उत्पाद शुल्क छूट नकद/पी. एल. ए. में भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के माध्यम से दी गई थी-उत्तरदाताओं ने कच्छ में नई इकाइयां स्थापित कीं -

बाद की अधिसूचना में, उत्पाद शुल्क की वापसी का प्रोत्साहन मूल्यवर्धन की सीमा तक सीमित था-द्वारा चुनौती दी गई प्रत्यर्थियों-उच्च न्यायालय द्वारा वचन रोधन के सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर रद्द किया गया-अन्य संबद्ध मामलों में, मूल्यवर्धन के आधार पर उत्पाद शुल्क की वापसी की अनुमति देने वाली इसी तरह की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों को सिक्किम और गुवाहाटी के उच्च न्यायालयों द्वारा रद्द कर दिया गया था-अपील पर कहा गयाः प्रतिज्ञात्मक रोक का सिद्धांत सार में लागू नहीं किया जा सकता है-अदालतें सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए बाध्य हैं, जिसमें उद्देश्य को प्राप्त करना और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक भलाई शामिल है-सिद्धांत को तब पूरा करना चाहिए जब इक्विटी की मांग हो-बाद की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों का उद्देश्य बेईमान निर्माताओं द्वारा कर चोरी को रोकना था-वे प्रकृति में स्पष्ट हैं क्योंकि उन्होंने वस्तुओं के वास्तविक निर्माण पर वास्तव में भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क की वापसी की घोषणा की थी, न कि माल पर।

औद्योगिक नीतियाँ-इस प्रकार, प्रतिभूति रोक के सिद्धांत से प्रभावित नहीं होती हैं-संबंधित उच्च न्यायालयों ने उन्हें रद्द करने में गलती की - अलग रखे गए विवादित निर्णय-उत्पाद शुल्क-केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम। 5 ए, 11 बी-क़ानून की व्याख्या-सेनवाट क्रेडिट नियम, 2001।

क़ानूनों की व्याख्या-संसदीय क़ानून/अधीनस्थ विधान/घोषणात्मक क़ानून/स्पष्टीकरण आदेश-संचालन

की-चर्चा की गई।

क़ानूनों की व्याख्या-राजकोषीय क़ानून-चर्चा की गई-उत्पाद शुल्क-कर/कराधान की व्याख्या।

मामलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

आयोजित किया गयाः 1.1 प्रोमिसरी एस्टोपल के सिद्धांत को सार में लागू नहीं किया जा सकता है और अदालतें सभी पर विचार करने के लिए बाध्य हैं

जब इक्विटी की मांग होती है तो प्रतिफल मिलता है यदि यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिखाया जा सकता है कि यह होगा सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने वादे, आश्वासन या प्रतिनिधित्व के लिए बनाए रखना असमान है। [पैरा 11.1]

कासिंका ट्रेडिंग बनाम। भारत संघ (1995) 1 एससीसी 274: [1994] 4 पूरक। एस. सी. आर. 448; श्रीजी सेल्स कॉर्पोरेशन बनाम। भारत संघ (1997) 3 एससीसी 398: [1996] 10 पूरक। एससीआर 888; एसटीओ बनाम। श्री दुर्गा ऑयल मिल्स (1998) 1 एस. सी. सी. 572 [1997] 6 पूरक। एस. सी. आर. 488; राजस्थान राज्य बनाम महावीर ऑयल इंडस्ट्रीज (1999) 4 एस. सी. सी. 357: [1999] 2

एस. सी. आर. 798; श्री सिद्धबली स्टील्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2011) 3 एस. सी. सी. 193: [2011] 3 एस. सी. आर. 134-पर निर्भर।

1.2 संबंधित अधिसूचनाएँ/औद्योगिक नीतियाँ

उच्च न्यायालयों के समक्ष विवादित को स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का कहा जा सकता है और इसे संदेह दूर करने के लिए एक अधिनियम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह बाद की अधिसूचनाओं/औद्योगिक अधिसूचनाओं द्वारा नहीं कहा जा सकता है।

पॉलिसियों से पहले की अधिसूचनाओं के तहत अर्जित/दिए गए लाभों को हटाने की मांग की गई थी। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि बाद की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों से पहले की अधिसूचनाओं के तहत अर्जित अधिकारों को छीन लिया गया था। पूर्व संबंधित का मुख्य उद्देश्य

अधिसूचनाएँ/औद्योगिक नीतियाँ प्रोत्साहित करने के लिए थीं उद्यमियों को क्षेत्र में नए उद्योगों को लगाने के लिए ताकि रोजगार पैदा किया जा सके और इसके लिए नकद या पी. एल. ए. में भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क को वापस करने के लिए प्रोत्साहन की पेशकश की गई थी, अर्थात्, सेनवैट क्रेडिट द्वारा भुगतान किए गए उपयोग द्वारा भुगतान की गई शुल्क राशि के अलावा माल के निर्माता द्वारा भुगतान की गई शुल्क की राशि।

वही शर्तों के अधीन था कि यह नई औद्योगिक इकाइयों पर लागू होगा, अर्थात वे इकाइयाँ जो आधिकारिक राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन पर और उसके बाद स्थापित की जाती हैं, यानी 31.07.2003 के बाद नहीं। अधिसूचना को समय-समय पर संशोधित किया गया था। हालांकि, पहले की अधिसूचनाओं के संचालन के दौरान, यह देखा गया कि शुल्क के नकद भुगतान किए गए हिस्से की वापसी और इस तरह के उत्पाद शुल्क के खरीदारों को शुल्क की पूरी राशि देने के प्रावधान ने कुछ बेईमान निर्माताओं को विभिन्न प्रकार की कर चोरी की रणनीति अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह आबकारी विभाग द्वारा दर्ज मामलों के विश्लेषण और यहां तक कि सरकार द्वारा दी गई छूट के दुरुपयोग के बारे में उद्योग संघ से प्राप्त अभ्यावेदन पर सामने आया, जो केवल वास्तविक निर्माताओं के लिए उपलब्ध था। इसलिए, सरकार ने विवादित अधिसूचनाएं/औद्योगिक नीतियां जारी कीं कि उत्पाद शुल्क की वापसी वास्तविक पर प्रदान की जाएगी और वास्तविक मूल्यवर्धन के आधार पर गणना की जाएगी। पहले की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि धनवापसी देने का उद्देश्य वास्तविक विनिर्माण गतिविधियों पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क को वापस करना था। इरादा नहीं था

यह कि वास्तविक विनिर्माण/विनिर्माण गतिविधियों की परवाह किए बिना और भले ही माल वास्तव में निर्मित नहीं हैं, लेकिन कागज पर निर्मित हैं, कागज पर निर्मित उत्पाद शुल्क की वापसी होगी। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि बाद की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों का उद्देश्य कर चोरी को रोकना था। यह कहा जा सकता है कि बाद की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों द्वारा, वे केवल छूट की मात्रा को तर्कसंगत बनाते हैं और वास्तविक निर्मित वस्तुओं पर देय कुल शुल्क पर धनवापसी की दर का प्रस्ताव करते हैं। जिस समय पहले की अधिसूचनाएं जारी की गई थीं, उस समय सरकार ने यह कल्पना नहीं की थी कि विभिन्न प्रकार की कर चोरी की रणनीति अपनाने वाले बेईमान निर्माता इस तरह की कार्यप्रणाली का पालन करेंगे। अनुभव से और मामलों के विश्लेषण से ही आबकारी विभाग को पता चला कि सरकार द्वारा इस तरह की कर चोरी की रणनीति का पालन किया जा रहा है। बेईमान निर्माताओं ने सरकार को बाद की अधिसूचनाओं के साथ आने के लिए प्रेरित किया जो धनवापसी तंत्र को स्पष्ट करने के लिए था ताकि यह प्रदान किया जा सके कि उत्पाद शुल्क धनवापसी की अनुमति केवल वास्तविक [2020] 7 एस. सी. आर. पर देय शुल्क की सीमा तक दी जाएगी।

संबंधित क्षेत्रों में विनिर्माण गतिविधियों का उपक्रम करने वाले निर्माता द्वारा किया गया मूल्यवर्धन। इस नीति की पूरी उत्पत्ति सरकार की मंशा को प्रकट करती है

उत्पाद शुल्क छूट/भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क की वापसी प्रदान करने के लिए ऐसी छूट केवल संबंधित क्षेत्रों में किए गए वास्तविक मूल्यवर्धन को प्रदान करना था। जैसा कि यह पाया गया कि उत्पाद शुल्क का दुरुपयोग किया गया था शुल्क छूट को जनहित में समीचीन माना जाता था और पिछड़े क्षेत्रों या संबंधित क्षेत्रों में वास्तविक औद्योगीकरण के प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ, बाद में

अधिसूचना/औद्योगिक नीतियां जारी की गई हैं

सरकार। पहले की अधिसूचनाएं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5 ए के तहत जारी की गई थीं और यहां तक कि बाद में भी।

सार्वजनिक हित में और राजस्व के हित में जारी की गई अधिसूचनाओं को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5 ए के तहत भी जारी किया गया था, जिसे कानून की दृष्टि से खराब, मनमाना और/या प्रतिभूति निष्कासन के सिद्धांत से प्रभावित नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 14,14.1]

1.3 बाद की अधिसूचनाएं/औद्योगिक नीतियां पहले के प्रावधानों के तहत प्रदत्त किसी भी निहित अधिकार को नहीं छीनती हैं।

अधिसूचनाएँ/औद्योगिक नीतियाँ। बाद की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों के तहत, नए उपक्रम स्थापित करने वाले व्यक्तियों को उत्पाद शुल्क का रिफंड मिलता रहेगा। कर्तव्य। हालांकि, बाद की अधिसूचनाओं द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उत्पाद शुल्क की वापसी निर्माताओं द्वारा किए गए वास्तविक मूल्यवर्धन पर भुगतान किए गए वास्तविक उत्पाद शुल्क पर होगी।

विनिर्माण गतिविधियों का संचालन करना। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि बाद की अधिसूचनाएँ/औद्योगिक नीतियाँ वचन-निषेध के सिद्धांत से प्रभावित होती हैं। संबंधित उच्च न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित करने में गंभीर त्रुटि की है कि संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष आक्षेपित बाद की अधिसूचनाएं/औद्योगिक नीतियाँ वचन-निरसन के सिद्धांत से प्रभावित थीं। चूंकि बाद की अधिसूचनाएं/औद्योगिक नीतियां पहले की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों की "व्याख्या" करने के लिए हैं, इसलिए जब तक इसका पूर्वव्यापी रूप से अर्थ नहीं लगाया जाता है, तब तक यह बिना किसी उद्देश्य के रहेगा। इसके बाद संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष आक्षेपित अधिसूचनाएँ वस्तुओं के वास्तविक निर्माण पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क की वापसी की राशि की गणना करने का तरीका और विधि प्रदान करती हैं। इसलिए बाद की अधिसूचनाएं स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति की हैं, क्योंकि यह वास्तविक रूप से भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क की वापसी की घोषणा करती है और भारत संघ और अन्य पर भुगतान किया जाता है।

वस्तुओं का वास्तविक विनिर्माण और केवल कागज पर निर्मित वस्तुओं पर भुगतान किए गए शुल्क पर नहीं और ऐसी वस्तुओं की कोई विनिर्माण गतिविधियाँ किए बिना। [पैरा 14.2,14.3]

1.4 एक बार जब यह माना जाता है कि बाद की अधिसूचनाएं/औद्योगिक नीतियां जो संबंधित के समक्ष आक्षेपित की गई थीं

उच्च न्यायालय प्रकृति में स्पष्टीकरणात्मक होते हैं और सार्वजनिक हित में और राजस्व के हित में जारी किए जाते हैं और वे व्यक्तियों को निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हुए प्रोत्साहन/छूट देने के मूल उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं।

नए उपक्रमों की स्थापना और वे पहले की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों के तहत प्रदान किए गए किसी भी निहित अधिकार को नहीं छीनते हैं और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि वे प्रतिभूति रोक के सिद्धांत से प्रभावित हैं, इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाना चाहिए और उन्हें तर्कहीन और/या मनमाना नहीं कहा जा सकता है। इन परिस्थितियों में, संबंधित उच्च न्यायालयों ने संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष आक्षेपित बाद की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों को इस आधार पर रद्द करने और रद्द करने में एक गंभीर त्रुटि की कि वे पूर्वव्यापी हैं और पूर्वव्यापी नहीं हैं। संबंधित द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश

उच्च न्यायालय, जो वर्तमान अपीलों में आक्षेपित हैं, संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष संबंधित रिट याचिकाओं में आक्षेपित बाद की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों को रद्द और अलग करते हैं, को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। नतीजतन, संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष संबंधित मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा संबंधित बाद की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों को चुनौती देने वाली मूल रिट याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं, संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष संबंधित बाद की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों को चुनौती दी जाती है। हालाँकि, वर्तमान निर्णय पहले से ही वापस की गई उत्पाद शुल्क की राशि को प्रभावित नहीं करेगा, जिसका अर्थ है, वे मामले जिनमें उत्पाद शुल्क पहले से ही बाद की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों से पहले ही वापस कर दिया गया है।

संबंधित उच्च न्यायालय, उन्हें फिर से नहीं खोला जाना है। हालांकि, लंबित धनवापसी आवेदनों का निर्णय इसके अनुसार किया जाएगा

बाद की अधिसूचनाएँ/औद्योगिक नीतियाँ जो संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष विवादित थीं और जिनका निर्णय निम्नलिखित में किया जाएगा -

कानून और गुण-दोष के अनुसार और बाद के [2020] 7 एस के अनुसार।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पुनर्निर्धारण से पहले आक्षेपित अधिसूचनाएँ/औद्योगिक नीतियाँ उच्च न्यायालय। [पैरा 15,16]

1.5 सिविल अपील @एसएलपी® संख्या में। 14751/2013 , 14 2013 और 14753/2013, अधिसूचना संख्या के लिए चुनौती। 16/2 सी. ई. और 33/2008 सी. ई. फेल और आबकारी अधिकारियों ने बाद की अधिसूचना संख्या के अनुरूप उत्पाद शुल्क की वापसी की अनुमति दी है। 16 / 2008 - सी. ई. और 33/2008-सी. ई. जिन्हें अब न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। [पैरा 16.1]

भारत संघ बनाम। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड (1985) 4 एस. सी. सी. 369 [1985] 3 पूरक। एस. सी. आर. 123; पौरनामी ऑयल मिल्स बनाम। केरल राज्य 1986 (पूरक) एस. सी. सी. 728: [1987] एससीआर 654; श्री बकुल ऑयल इंडस्ट्रीज बनाम। गुजरात राज्य

(1987) 1 एससीसी 31: [1987] 1 एस. सी. आर. 185; पवन अलॉयज एंड कास्टिंग प्रा. लिमिटेड वी. उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड (1997) 7 एस. सी. सी. 251: [1997] 3 पूरक। एस. सी. आर. 266; दाई इची करकरिया लिमिटेड बनाम। भारत संघ (2000) 4 एससीसी 57: [2000] 2 एस. सी. आर. 1254; महाबीर सब्जी तेल (पी) लिमिटेड v. हरियाणा राज्य (2006) 3 एस. सी. सी. 620: [2006] 2 एससीआर 1172; राज्य

पंजाब बनाम। नेस्ले इंडिया (2004) 6 एस. सी. सी. 465: [2004] 2 पूरक। एस. सी. आर. 135; एम. आर. एफ. लिमिटेड. कोट्टायम बनाम सहायक

बिक्री कर आयुक्त (2006) 6 एससीसी 702: [2006] 3 पूरक। एस. सी. आर. 778; सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड बनाम। ईटीआईओ (2007) 5 एससीसी 447: [2007] 6 एससीआर

भारतीय स्टेट बैंक बनाम वी. रामकृष्णन (2018) 17 एससीसी 394 [2018] 10 एससीआर 974; बिहार राज्य बनाम। रमेश प्रसाद वर्मा (2017) 5 एससीसी 665: [2017] 2 एस. सी. आर. 342; भारत संघ बनाम। मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड (2009) 12 एससीसी 209 [2009] 7 एससीआर 946; टी. एन. विद्युत बोर्ड बनाम स्थिति एसपीजी। मिल्स लिमिटेड (2008) 7 एससीसी 353: [2008] 9 एस. सी. आर. 870; ज़िले सिंह बनाम। हरियाणा राज्य (2004) 8 एससीसी 1: [2004] 5 पूरक। एससीआर 272; आर. के. गर्ग बनाम। भारत संघ (1981) 4 एससीसी 675: [1982] 1 एस. सी. आर. 947; सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) v. दिलीप कुमार एंड कंपनी (2018) 9 एस. सी. सी. 1: [2018] 7 एससीआर

1191 - पर भरोसा किया।

दर्शन ऑयल (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ (1995) 1 एससीसी 345: [1994] 5 पूरक।

एस. सी. आर. 278; पापू स्वीट्स एंड यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम। एम/एस वी. वी. एफ. लिमिटेड और अन्य

बिस्किट्स वी. व्यापार कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश (1998) 7

व्यापार वी। कनक निर्यात (2016) 2 एस. सी. सी. 226: [2015] 15 एस. सी. आर. 287 संदर्भित है। -

मामला कानून संदर्भ

[1982] 1 एससीआर 947

उस पर भरोसा करें

पैरा

8.6। 2

[1994] 4 पूरक। एससीआर 448

उस पर भरोसा करें

पैरा

8.7

[1994] 5 पूरक। एससीआर 278

पैरा

8.7

संदर्भित किया गया है

[1996] 10 पूरक। एससीआर 888

उस पर भरोसा करें

पैरा

8.7

[1997] 6 पूरक। एससीआर 488

उस पर भरोसा करें

पैरा

8.7

[1998] 2 पूरक। एससीआर 119

संदर्भित किया गया है

पैरा

8.7

[1999] 2 एससीआर 798

उस पर भरोसा करें

पैरा

8.7

[2011] 3 एससीआर 134

उस पर भरोसा करें

पैरा

8.7

[2015] 15 एससीआर 287

पैरा

8.7

संदर्भित किया गया है

[2018] 7 एससीआर 1191

उस पर भरोसा करें

पैरा

8.7

[1985] 3 पूरक। एससीआर 123

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा

9.2। 4

[1987] एससीआर 654

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा

9.2। 4

अप्रयोज्य रखा गया

[1987] 1 एससीआर 185

पैरा

9.2। 4

[1997] 3 पूरक। एससीआर 266

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा

9.2। 4

अप्रयोज्य रखा गया

[2000] 2 एससीआर 1254

पैरा

9.2। 4

अप्रयोज्य रखा गया

[2006] 2 एससीआर 1172

पैरा

9.2। 4

अप्रयोज्य रखा गया

[2004] 2 पूरक। एससीआर 135

पैरा

9.2। 4

[2006] 3 पूरक। एससीआर 778

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा

9.2। 4

अप्रयोज्य रखा गया

[2007] 6 एससीआर 955

पैरा

9.2। 4

[2018] 10 एससीआर 974

उस पर भरोसा करें

पैरा

13

[2017] 2 एससीआर 342

पैरा

13.1

उस पर भरोसा करें

[2009] 7 एससीआर 946

उस पर भरोसा करें

पैरा

13.2

[2008] 9 एससीआर 870

उस पर भरोसा करें

पैरा

13.3

[2004] 5 पूरक। एससीआर 272

उस पर भरोसा करें

13.4 [2020] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 2256

2263 2020 से। एस. सी. ए. सं. में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 10.03.2010 के निर्णय और आदेश से। 5909 , 6300 , 6298 , 6299 , 5907 , 8468 , 6334 और 2008 का 6562।

के साथ

सिविल अपील सं। 2264 , 2265 , 2266 , 2267-2275 , 2276 , 2277 , 2278 , 2279 , 2280 , 2281 , 2282 , 2283 , 2284 , 2285 , 2286 , 2287 , 2288 , 2289 , 2290 , 2291 , 2292 , 2293 , 2294 , 2295 , 2296 , 2297 , 2298 , 2299 , 2300 , 2301,2302 , 2303 , 2304 , 2305 , 2306 , 2307,2308 , 2309 , 2310 , 2363 , 2311 , 2312 , 2313 , 2314 , 2315 , 2316 , 2317 , 2318 , 2319 , 2320 , 2321 , 2322 , 2323 , 2324 , 2325 , 2326 , 2327 , 2328 , 2329 , 2330 , 2331 , 2332 , 2333 , 2334 , 2335 , 2364 , 2336 , 2337 , 2338 , 2339 , 2340 , 2341 , 2342 , 2343 , 2344 , 2345 , 2346 , 2347 , 2348 , 2349,2350 , 2351 , 2352 , 2353 , 2354 , 2355 , 2356 , 2357 , 2358 , 2359,2360 , 2361 , 2362 2020 से।

ध्रुव अग्रवाल, रफीक दादा, के. वी. विश्वनाथन, डॉ. अशोक

सराफ, बलबीर सिंह, तरुण गुलाटी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , रुपेश कुमार, सुश्री निशा बागची, गुप्ता, धर्मेंद्र गुप्ता, बी. के. प्रसाद, ए. जी. गर्ग, राकेश गर्ग, सुश्री श्वेता गर्ग, अमन राज गांधी, अभिषेक शर्मा, बिंदी गिरीश दवे, एम. एल. लाहोटी, पबन के. शर्मा, अंचित श्रीपत, हिमांशु शेखर, विशाल गुप्ता, मेसर्स। एपी एंड जे चैम्बर्स, महेश अग्रवाल, विपिन जैन, ऋषि अग्रवाल, कृष्ण कुमार, अभिनव अग्रवाल, ई. सी. अग्रवाल, सुश्री कविता झा, सुश्री स्वाति अग्रवाल, अनंत मान, पवन श्री अग्रवाल, कौशिक चौधरी, पवन श्री अग्रवाल, अजय कुमार रॉय, शांतनु त्यागी, सुश्री नंदिता चौहान, एस. एस. श्रॉफ, मेसर्स। कानूनी विकल्प, ए. पी. मयी, ए. राजाराजन, सुश्री दीपानविता प्रियंका, राहुल नारायण, सुश्री माला नारायण, शाश्वत गोयल, परविंदर कौर भट्टल, हितेश कुमार शर्मा, सुश्री सावती अग्रवाल, सुनील मुरारका, कुणाल चटर्जी, सुश्री मैत्रेयी बनर्जी, सुप्रतीक सरकार, क्षितिज वैभव, सुश्री शीना तकवी, सुश्री बीना गुप्ता, सुश्री सुवर्णा दुबे, राघवेंद्र श्रीवास्तव, जांगपो शेरपा, सुश्री शीतल राजपूत, राहत बंसल, वी. के. सिद्धार्थन, श्रीराम पी. पिंगले, गंगदीप शर्मा, कुमार विशालक्ष, उदित जैन, प्रवीण कुमार, पार्थिव

भट्टाचार्य, श्रीमती इशिता माथुर, सुश्री अपेक्षा मेहता, सुश्री मोनिका कस्तुरी, आर. पार्थसारथी, अजय अग्रवाल, सुश्री मल्लिका जोशी, ईशान नारायण, राजन नारायण, राकेश सिन्हा, पार्थ सिल, कुमार विशालक्ष, उदित जैन, यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम।

एम/एस वी. वी. एफ. लिमिटेड और अन्य

महफूज़ ए. नाज़की, शेखर प्रीत झा, सुश्री हिमानी मिश्रा, राघवेंद्र कुमार, सुश्री अरुणा माथुर, शुभोदीप रॉय, कबीर शंकर बोस, सुश्री नीलिमा त्रिपाठी, गुंजन सिंह, के. वी. मोहन, निखिल सिंघवी, ओबीरूप घोष, सुश्री सोनिया दुबे, रामेंद्र लाल औडी, बी. कृष्ण प्रसाद, मैसर्स। खेतान एंड कंपनी, विशाल गुप्ता, मेसर्स। अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी एम/एस। के. जे. जॉन एंड कंपनी, सत्य मित्रा, सुश्री हेमंतिका वाही, गोपाल सिंह, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. सभी विशेष अवकाश याचिकाओं में अनुमति दी जाती है।

सिविल अपील @एस. एल. पी. ® संख्या। 28194-28201 2010 का

2. जैसा कि अपीलों के इस समूह में कानून और तथ्यों का सामान्य प्रश्न उत्पन्न होता है और इस तरह गुजरात के उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 10.03.2010 से उत्पन्न होता है।

अहमदाबाद में संबंधित विशेष सिविल आवेदन संख्या। 5909/2008 , 6300/2008 , 6298/2008 , 6299/2008 , 5907/2008 , 8468/2008 , 6334/2008 और 6562/2008, इन सभी अपीलों का निर्णय और निपटान इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा किया जा रहा है।

2.1 अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित विशेष सिविल आवेदन संख्या में पारित किए गए विवादित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना। 5909/2008 ,

6300/2008 , 6298/2008 , 6299/2008 , 5907/2008 , 8468/2008 , 6334/2008 और 6562/2008, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उत्तरदाताओं द्वारा यहां प्रस्तुत की गई उपरोक्त रिट याचिकाओं को अनुमति दी है-मूल रिट याचिकाकर्ता और जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं को लाभ/प्रोत्साहन वापस लेने की विवादित नीति पूर्वव्यापी है और पूर्वव्यापी नहीं है और रद्द कर दी गई है और

अधिसूचना 16/2008 दिनांकित 27.03.2008, इस आधार पर कि प्रोमिसरी एस्टोपेल काम करेगा, भारत संघ ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

3. वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य और संक्षिप्त में तिथियों और घटनाओं की सूची इस प्रकार हैः

गुजरात राज्य का कच्छ जिला 26.01.2001 पर एक विनाशकारी भूकंप से प्रभावित हुआ था जिसने गुजरात में मौजूदा बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया था।

उस जिले में भारी जनहानि होने के अलावा। (2020) 7 एस. सी. आर. में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दृष्टि से।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित कच्छ जिले में नए उद्योगों की स्थापना के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क छूट अधिसूचना संख्या 39/2001 सी. ई. दिनांक 31.07.2001 जारी करके एक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। उक्त अधिसूचना ने वस्तुओं को छूट दी

गुजरात के कच्छ जिले में स्थापित एक नई औद्योगिक इकाई से उत्पाद शुल्क के इतने शुल्क को हटा दिया गया जो तैयार माल पर नकद/व्यक्तिगत लेजर खाते (पी. एल. ए.) में भुगतान की गई शुल्क राशि के बराबर था। कि नकद/पी. एल. ए. में भुगतान किए गए शुल्क की वापसी का उक्त प्रोत्साहन वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए उपलब्ध था। प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य उक्त जिले में नए उद्योग स्थापित करके उद्यमियों से बड़े पैमाने पर नए निवेश को आकर्षित करके कच्छ जिले में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना था ताकि नए रोजगार पैदा किए जा सकें जिससे बदले में कच्छ जिले को मदद मिलेगी। और इसके लोगों को राष्ट्र के साथ मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। उक्त अधिसूचना ने निम्नलिखित में प्रोत्साहन योजना को कार्यान्वित किया:

तरीका -

a) पात्र इकाई को एक से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी

एक प्रमुख से बनी उच्चाधिकार प्राप्त समिति

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त और गुजरात सरकार के मुख्य सचिव यह प्रमाणित करते हुए कि इकाई वास्तव में एक नई औद्योगिक इकाई थी जिसे छूट अधिसूचना की तारीख को या उसके बाद स्थापित किया गया था, लेकिन 31.07.2003 के बाद नहीं (इस कट-ऑफ तिथि को बाद में 31.12.2005 तक बढ़ा दिया गया था);

ख) इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख को कारखाने में स्थापित संयंत्र और मशीनरी में निवेश के मूल्य के बारे में एक घोषणा प्रस्तुत करनी थी और निवेश के मूल मूल्य की पुष्टि करने के लिए समिति से इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना था।

ग) धनवापसी का दावा करने की प्रक्रिया, द्वारा भुगतान किए गए शुल्क सहित कुल शुल्क भुगतान का विवरण प्रस्तुत करने की परिकल्पना की गई है।

अधिकार क्षेत्र वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण को सेनवेट क्रेडिट) का उपयोग और समयबद्ध तरीके से उपरोक्त का सत्यापन।

इस तरह के अधिकार द्वारा;

घ) अधिसूचना में किसी भी अतिरिक्त की वसूली के लिए भी प्रावधान किया गया है।

संयंत्र और मशीनरी का मूल्य गलत तरीके से घोषित किए जाने के मामले में ब्याज के साथ दावा किया गया/दिया गया धनवापसी, और भारत के कुछ संघों में भी।

अन्य संभावनाएँ जो विभिन्न संशोधन अधिसूचनाओं द्वारा जोड़ी गई थीं;

(ङ) जहां संयंत्र और मशीनरी में नया निवेश रुपये से कम था। 20 करोड़-उपलब्ध प्रोत्साहन पहली मंजूरी के लिए था जो कुल मूल्य तक था जो इस तरह के निवेश के मूल्य से दोगुने से अधिक नहीं था।

वाणिज्यिक उत्पादन, प्रत्येक वर्ष; और

च) जहां निवेश Rs.20 करोड़ से अधिक था-प्रोत्साहन असीमित होगा क्योंकि कोई ऊपरी सीमा नहीं थी।

3.1 मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने कच्छ जिले में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की। उन्होंने संयंत्र और मशीनरी में निवेश किया

Rs.20 करोड़ से अधिक। उनके अनुसार, लगभग पूरे शुल्क का भुगतान नकद में किया जाना आवश्यक था, जिसका पूरा भुगतान अधिसूचना संख्या 39/2001-सी. ई. दिनांक के संदर्भ में बिना किसी ऊपरी सीमा के किया जाना था।

31.07.2001 .

3.2 ऐसा प्रतीत होता है कि गुजरात की तत्कालीन सरकार ने आर्थिक विकास के लिए 2001 में एक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की थी।

कच्छ जिले से। उक्त अधिसूचना के तहत, बिक्री कर में छूट थी प्रदान किया गया। बिक्री कर छूट केवल उन उद्योगों के लिए उपलब्ध थी जो अधिसूचना संख्या के तहत उत्पाद शुल्क छूट के लिए पात्र थे।

39 / 2001 - सीई दिनांकित 31.07.2001।

3.3 मूल प्रोत्साहन योजना अधिसूचना संख्या 39/2001-सी. ई. दिनांक 31.07.2001 में विभिन्न संशोधन किए गए।

सितंबर, 2001 से सितंबर, 2004 तक, अन्य बातों के साथ-साथ, कुछ मामलों को स्पष्ट करने और नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए कट-ऑफ तिथि को 31.07.2003 से 31.12.2005 तक बढ़ाने के लिए। एक अन्य संशोधन अधिसूचना संख्या 65/2003-सी. ई. के माध्यम से 06.08.2003 से किया गया था ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि पी. एल. ए. का भुगतान सेनवैट क्रेडिट शेष राशि समाप्त होने के बाद ही तैयार उत्पादों पर शुल्क देनदारियों का निर्वहन करने के लिए किया जा सके।

3.4 मूल रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, अधिसूचना संख्या 39/2001-सी. ई. के तहत प्रस्तावित आविष्कार को देखते हुए, यहाँ उत्तरदाता -

मूल रिट याचिकाकर्ता जिन्होंने शुरू में महाराष्ट्र में अपनी विनिर्माण गतिविधियों का विस्तार करने की योजना बनाई थी, उन्होंने इसके बजाय कच्छ जिले में नई इकाइयां स्थापित करने का फैसला किया। वह दिसंबर, 2005 का महीना था। मूल रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उक्त निर्णय केवल कच्छ क्षेत्र में भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क को वापस करने के लिए सरकार द्वारा किए गए "प्रोत्साहन" के वादे के कारण लिया गया था। मूल रिट [2020] 7 एस. सी. आर. के अनुसार।

याचिकाकर्ताओं, कच्छ जिले में एक नई इकाई स्थापित करने के निर्णय के परिणामस्वरूप, कंपनी को अतिरिक्त माल ढुलाई, हैंडलिंग शुल्क, भंडारण शुल्क आदि के लिए पर्याप्त लागत वहन करनी पड़ी, जो लगभग 2,200/- पी. एम. टी. थी। इसके अलावा, कंपनी को गंभीर स्थानीय नुकसान का सामना करना पड़ा।

3.5 मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने विभाजन/कच्चे फैटी एसिड आदि का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया।

उपरोक्त रिट याचिकाएँ। यह मूल रिट याचिकाकर्ताओं का मामला था कि बाद की अधिसूचना संख्या 16/2008-सी. ई. ने प्रोत्साहन छूट के पूरे आधार को बदल दिया और उनके धनवापसी के अधिकार को काफी कम कर दिया। मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी मामला था कि उक्त संशोधन के परिणामस्वरूप धनवापसी के लिए उनकी पात्रता को भुगतान किए गए शुल्क के लगभग 100% से घटाकर ऐसी शुल्क राशि का केवल 34 प्रतिशत कर दिया गया है। मूल रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, चूंकि वादा किए गए प्रोत्साहन को पांच साल की अवधि की समाप्ति से पहले बीच में ही कम कर दिया गया था, इसलिए बाद की अधिसूचना वचन रद्द करने के सिद्धांत का उल्लंघन थी।

3.7 राजस्व द्वारा उपरोक्त रिट याचिकाओं का विरोध करते हुए निम्नानुसार प्रस्तुत किया गयाः

i) छूट अधिसूचना ने कुछ बेईमान निर्माताओं को विभिन्न प्रकार की कर चोरी में लिप्त होने के लिए प्रेरित किया।

रणनीति; भारत का संघ और एक और बनाम। एम/एस वी. वी. एफ. लिमिटेड और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

(ii) छूट अधिसूचना के पीछे का उद्देश्य वास्तविक निर्माताओं को केवल वास्तविक सीमा तक ही प्रोत्साहित करना था।

उनके द्वारा किया गया मूल्यवर्धन;

iii) छूट अधिसूचना के अनुसार कच्छ जिले में स्थापित इकाइयों द्वारा नकद में भुगतान किया गया शुल्क भारत के अन्य हिस्सों में इसी तरह की अन्य इकाइयों की तुलना में अत्यधिक अधिक पाया गया।

(iv) केंद्र सरकार को उसी शक्ति से, जिसके द्वारा वह छूट देती है, उसे वापस लेने का अधिकार है।

v) आक्षेपित अधिसूचनाएँ केवल सरकार के वास्तविक इरादे को प्रभावी बनाने के लिए एक संशोधन हैं और वापस नहीं ली जाती हैं।

लाभ के लिए; और

vi) यू. ओ. आई. द्वारा अनुरोध की गई छूट के दुरुपयोग के आलोक में, जनता

ब्याज इस तरह की निकासी की गारंटी देता है।

3.8 साथ ही विनिर्माण इकाइयों ने भी आवेदन किया

सरकार अधिसूचना संख्या 33/2008-सी. ई. दिनांकित 10.6.2008 के माध्यम से। इसलिए, मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने बाद की अधिसूचना दिनांक 10.6.2008 को भी चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं में संशोधन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 51/2008 दिनांकित 3.10.2008 के माध्यम से मानित मूल्यवर्धन को 75 प्रतिशत पर संशोधित किया। मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा विशेष दर के लिए आवेदन करने का कोई विकल्प दिए बिना निर्मित उत्पाद।

3.9 डिवीजन बेंच द्वारा उपरोक्त रिट याचिकाओं की सुनवाई की गई। डिवीजन बेंच के सदस्य अलग थे। एक विद्वान न्यायाधीश ने अनुमति दी

रिट याचिकाओं और एक अन्य विद्वान न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि रिट याचिकाएं खारिज किए जाने के योग्य हैं। डिवीजन बेंच के दो विद्वान न्यायाधीशों के बीच मतभेद को देखते हुए, मामला तीसरे विद्वान न्यायाधीश को भेजा गया था। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, तीसरा विद्वान न्यायाधीश उस विद्वान न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हो गया है जिसने रिट याचिकाओं को अनुमति दी थी। नतीजतन, विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, रिट याचिकाओं की अनुमति मुख्य रूप से वचन रद्द करने के सिद्धांत के आधार पर दी जाती है। नतीजतन, उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिसूचना संख्या 39/2001-सी. ई. द्वारा मूल रूप से परिकल्पित प्रोत्साहन को लागू करने की आवश्यकता थी और अंतर राशि को रिट याचिकाकर्ताओं को वापस करने का निर्देश दिया गया था। इसलिए, वर्तमान अपीलें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपील @एस. एल. पी. ® संख्या। 14752 2013 और सिविल अपील @एस. एल. पी. ® संख्या। 14753 2013 का

4. ये सभी अपीलें सामान्य निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती हैं।

अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.10.2012 विशेष सिविल आवेदन संख्या में पारित किया गया। 3582/2012 , 3569/2012 और 3587/2012

क्रमशः, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

उच्च न्यायालय के समक्ष, संबंधित मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने दावा किया

2001 की मूल अधिसूचना संख्या 29 के संदर्भ में उत्पाद शुल्क की वापसी के लिए। हालांकि, आबकारी अधिकारियों ने केवल इसमें छूट दी।

संशोधित अधिसूचना संख्या की शर्तें। 16 / 20098 - सी. ई. और 36/2008-सी. ई. (जो सिविल अपील @एस. एल. पी. ओ. सं. का विषय हैं। 28194-28201 2010)। उच्च न्यायालय के समक्ष, शुरू में, केवल बाद की अधिसूचनाओं के अनुसार धनवापसी देने वाले आबकारी अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दी गई थी। हालाँकि, बाद में, मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने बाद की अधिसूचना संख्या को भी चुनौती दी। 16 / 2008 - सीई और 33/2008-सीई। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की अस्थायी धारा 11 बी को देखते हुए उत्पाद शुल्क की वापसी के लिए दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जहाँ तक बाद की अधिसूचना संख्या को चुनौती है। 16 / 2008 - सीई और 33/2008-सीई है

संबंधित, उच्च न्यायालय ने अपने पहले के निर्णय को देखते हुए गुण-दोष में प्रवेश नहीं किया है जो सिविल अपील @एसएलपी® संख्या के मामले में इस न्यायालय के समक्ष विषय है। 28194-28201 2010 से। जैसा कि वर्तमान अपीलों में, सवाल बाद की अधिसूचनाओं को चुनौती देने के संबंध में है जो सिविल अपील @एसएलपी ओ संख्या के मामले में इस न्यायालय का विषय भी है। 28194-28201 2010 के इन सभी अपीलों पर भी इस सामान्य निर्णय और आदेश के साथ निर्णय लिया जाता है और उनका निपटारा किया जाता है।

सिविल अपील सं।

2020 @ एसएलपी
(सी) संख्या।

15481-15489 2011 का

5. ये दीवानी अपीलें विवादित निर्णय से उत्पन्न होती हैं और

गंगटोक में सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.11.2010 पर पारित आदेश रिट याचिका संख्या में पारित किया गया। 11/2008 और अन्य संबद्ध रिट याचिकाएँ, जिनके द्वारा उच्च न्यायालय ने भारत संघ और अन्य पर उत्पाद शुल्क की वापसी की अनुमति देने वाली दिनांकित 27.03.2008 और 10.06.2008 की समान अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया है।

मूल्यवर्धन के आधार पर, इस आधार पर कि वे वचन बहिष्कार के सिद्धांत के खिलाफ हैं। मूल अधिसूचना दिनांक 09.09.2003 के रूप में

साथ ही ओ. एम. दिनांक 01.04.2007 और बाद की अधिसूचनाएँ दिनांक 27.03.2008 और 10.06.2008 गुजरात के कच्छ क्षेत्र पर लागू 2008 की अधिसूचना संख्या 16 के समान हैं।

दीवानी अपीलें भी इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा शासित होंगी।

सिविल अपील सं. 2020 @एसएलपी® सं. 11878/2015

और अन्य संबद्ध मामले

6. ये सभी अपीलें विवादित सामान्य निर्णय से उत्पन्न होती हैं।

और गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2014 में पारित आदेश

2009 की रिट अपील सं. 243 और अन्य संबद्ध रिट याचिकाएँ, जिनके द्वारा उच्च न्यायालय ने बाद की अधिसूचना दिनांक 1 और 2007 की बाद की औद्योगिक नीतियों को इस आधार पर रद्द कर दिया है कि वे वचनबद्ध बहिष्कार के सिद्धांत से प्रभावित हैं। कुछ रिट याचिकाओं में, उच्च न्यायालय ने दिनांक 20.11.2014 के सामान्य निर्णय और आदेश के बाद संबंधित रिट याचिकाओं का निपटारा किया है।

संबंधित दीवानी अपीलों का विवरण इस प्रकार हैः

उच्च न्यायालय

फैसले की तारीख

विशिष्टताएँ

एस. एल. नहीं। मद सं।

आईएन

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

1

3.7

डब्ल्यूए

No.243/2009

20.11.2014

No.11878/2015

गुवाहाटी

3.8

एस. एल. पी. (सी) नं.

डब्ल्यूपी सी

No.1242/2013

2

20.11.2014

19370/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.3940/2009

3

20.11.2014

3.9

नं. 19868/2015

गुवाहाटी

एसएलपी (सी)

डब्ल्यू. पी. सी. सं.

1151/2013

20.11.2014

नं. 19386/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.84/2013

20.11.2014

नं. 19379/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.4119/2010

20.11.2014

नं. 19376/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.235/2013

20.11.2014

No.19384/2015

गुवाहाटी

एसएलपी (सी)

डब्ल्यूपी सी

No.3377/2009

20.11.2014

नं. 19380/2015

गुवाहाटी

एसएलपी (सी)

डब्ल्यूपी सी

No.6161/2012

20.11.2014

No.20626/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.5444/2014

20.11.2014

No.21583/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.809/2013

20.11.2014

नं. 19320/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.1975/2013

20.11.2014

नं. 19371/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.937/2015

20.02.2015

No.20109/2015

गुवाहाटी

एसएलपी (सी)

डब्ल्यूपी सी

No.6786/2013

20.11.2014

नं. 19378/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.3457/2014

20.11.2014

नं.

19375/2015 [2020] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.4112/2010

20.11.2014

No.21406/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.6685/2013

20.11.2014

No.23331/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.483/2015

31.01.2015

No.20630/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

19.12.2014

डब्ल्यूपी सी

No.6883/2014

No.20631/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.410/2013

20.11.2014

No.20628/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.228/2015

22.01.2015

No.20627/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.932/2015

20.02.2015

नं. 19228/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.1472/2013

20.11.2014

No.23394/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.227/2015

22.01.2015

No.23399/2015

एसएलपी (सी)

31.01.2015

डब्ल्यूपी सी

No.487/2015

गुवाहाटी

No.23328/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

20.11.2014

डब्ल्यूपी सी

No.1694/2014

No.19373/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.279/2013

20.11.2014

No.23329/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.239/2013

20.11.2014

No.23326/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.972/2015

24.02.2015

No.20442/2015

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.723/2014

एसएलपी (सी)

20.11.2014

No.23398/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.1696/2014

20.11.2014

No.23393/2015

एसएलपी (सी)

डब्ल्यूपी सी

No.864/2015

19.02.2015

गुवाहाटी

No.20370/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.1433/2015

30.03.2015

नं. 19842/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

30.03.2015

डब्ल्यूपी सी

No.1427/2015

No.22568/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.931/2015

20.02.2015

No.21605/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.2660/2013

28.11.2014

No.23303/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.933/2015

20.02.2015

No.23301/2015

एसएलपी (सी)

डब्ल्यूपी सी

No.1789/2010

गुवाहाटी

28.11.2014

No.23334/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.4869/2009

20.11.2014

No.21584/2015

गुवाहाटी

एसएलपी (सी)

डब्ल्यूपी सी

No.104/2013

20.11.2014

No.23391/2015

गुवाहाटी

एसएलपी (सी)

डब्ल्यूपी सी

No.5969/2012

20.11.2014

No.23297/2015

गुवाहाटी

एसएलपी (सी)

डब्ल्यूपी सी

No.724/2014

20.11.2014

No.23898/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.3387/2009

20.11.2014

No.23251/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

20.11.2014

डब्ल्यूपी सी

No.230/2009

No.23896/2015

20.01.2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.186/2015

No.23903/2015 यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर v. एम/एस वी. वी. एफ. लिमिटेड और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी No.811/2013

20.11.2014

No.23396/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी No.2918/2010

20.11.2014

No.23294/2015

एसएलपी (सी)

20.11.2014

48 3.54

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी No.2138/2009

No.23897/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी No.41/2013

20.11.2014

No.23900/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी No.2887/2014

20.11.2014

No.23295/2015

एसएलपी (सी)

51 3.57

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी No.3458/2014

20.11.2014

No.23299/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी No.4433/2014

23.01.2015

52 3.58

No.23902/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी No.5968/2012

20.11.2014

No.27036/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी No.526/2015

04.02.2015

No.23296/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी No.317/2014

20.11.2014

No.26286/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

12.05.2015

डब्ल्यूपी सी No.416/2012

56 3.62

No.23693/2015

एसएलपी (सी)

57 3.63

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी No.5538/2014

20.11.2014

No.26764/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी No.319/2013

20.11.2014

58 3.64

No.23247/2015

एसएलपी (सी)

59 3.65

20.11.2014

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी No.3376/2009

No.23899/2015

एसएलपी (सी)

डब्ल्यूपी सी No.211/2015

गुवाहाटी

60 3.66

23.01.2015

No.23901/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी No.632/2013

20.11.2014

No.27041/2015

एसएलपी (सी)

डब्ल्यूपी सी No.242/2013

62 3.68

गुवाहाटी

20.11.2014

No.27024/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी No.312/2013

63 3.69

20.11.2014

No.27034/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

64 3.70

डब्ल्यूपी सी No.486/2015

31.01.2015

No.26284/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

20.11.2014

डब्ल्यूपी सी No.417/2013

No.27053/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी No.399/2013

20.11.2014

No.27058/2015

एसएलपी (सी)

डब्ल्यूपी सी No.528/2015

गुवाहाटी

04.02.2015

No.25804/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी No.1153/2013

20.11.2014

No.27046/2015

एसएलपी (सी)

69 3.75

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी No.240/2013

20.11.2014

No.26767/2015

एसएलपी (सी)

20.11.2014

डब्ल्यूपी सी No.457/2013

गुवाहाटी

70 3.76

No.27043/2015

एसएलपी (सी)

71 3.77

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी No.6698/2013

20.11.2014

No.26821/2015

गुवाहाटी

एसएलपी (सी)

72 3.78

डब्ल्यूपी सी No.290/2015

28.01.2015

No.27050/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

20.11.2014

73 3.79

डब्ल्यूपी सी No.109/2013

No.2

6294/2015 [2020] 7 एससीआर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.2468/2014

20.11.2014

No.27048/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.6864/2014

19.12.2014

No.26283/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.259/2015

23.01.2015

No.27049/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.187/2013

20.11.2014

77 3.83

No.25799/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.527/2015

04.02.2015

No.26295/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.810/2013

20.11.2014

No.26287/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.729/2014

20.11.2014

No.25797/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.1723/2014

20.11.2014

No.26290/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.6865/2014

19.12.2014

No.27744/2015

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यू. पी. सी. सं.

226/2015

22.01.2015

No.26972/2015

एसएलपी (सी)

डब्ल्यू. ए. नं. 38/2009

त्रिपुरा

24.08.2015

No.1907/2016

एसएलपी (सी)

गुवाहाटी

डब्ल्यूपी सी

No.6972/2015

02.12.2015

No.7208/2016

6.1 प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं: भारत सरकार ने 01.04.2007 पर एक औद्योगिक नीति जारी की

आई. डी. 1 की पूर्ववर्ती औद्योगिक नीति के नियमों और शर्तों को दोहराते हुए, जिसमें नई औद्योगिक इकाइयों और उनके पर्याप्त विस्तार को राजकोषीय आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया गया था। इस नीति के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्मित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में छूट दी गई थी। उच्च न्यायालय के समक्ष बाद की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों द्वारा, उत्पाद शुल्क की वापसी मूल्यवर्धन की सीमा तक सीमित थी। उच्च न्यायालय ने विवादित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा बाद की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों को दरकिनार कर दिया है जो 2008 की अधिसूचना संख्या 16 के समान थीं।

गुजरात के कच्छ क्षेत्र में लागू और सिविल अपील @एस. एल. पी. ओ. सं. 28194-28201 2010 से।

सिविल अपील सं. 2020 @एसएलपी® सं. 10257/2018,

सिविल अपील सं. 2020 @एसएलपी® ओ सं. 10253/2018,

सिविल अपील सं. 2020 @एसएलपी® सं. 12148/2018 और सिविल अपील सं. 2020 @एसएलपी® सं. 12496/2018

7. विवादित आम लोगों से दुखी और असंतुष्ट महसूस करना

सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.11.2017 भारत संघ और अन्य बनाम द्वारा पारित निर्णय और आदेश।

एम/एस वी. वी. एफ. लिमिटेड और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

रिट याचिका संख्या में पारित किया गया। 8/2017 , 27/2017 , 40/2015 क्रमशः और 41/2015, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने 2008 की बाद की अधिसूचना संख्या 20 दिनांकित 27.03.2008,2008 की अधिसूचना संख्या 36 दिनांकित 10.06.2008 और 2008 की अधिसूचना संख्या 38 दिनांकित 10.06.2008 को इस आधार पर रद्द कर दिया है कि वे वचन बहिष्कार के सिद्धांत से प्रभावित हैं, भारत संघ ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है। 7.1 औद्योगिक नीति, 2007 के अनुरूप, अधिसूचना संख्या 20/2008 जारी की गई थी जिसके तहत नए उपक्रमों के संबंध में

यह स्थापित किया गया कि वस्तुओं को उस पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के इतने हिस्से से छूट दी गई थी जो कि सेनवैट क्रेडिट के उपयोग द्वारा भुगतान की गई शुल्क राशि के अलावा माल के निर्माता द्वारा भुगतान की गई शुल्क राशि के बराबर थी। वर्ष 2008 में, उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेपित बाद की अधिसूचनाएं जारी की गईं, जिनके द्वारा मूल्यवर्धन के आधार पर निर्मित वस्तुओं पर देय शुल्क पर धनवापसी की अनुमति दी गई थी, उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा विवादित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा इस आधार पर दरकिनार कर दिया गया है कि वे वचन रोधन के सिद्धांत से प्रभावित हैं। अन्यथा, प्रस्तुतियाँ आम हैं और जिन कारणों पर उच्च न्यायालय ने आक्षेप को दरकिनार कर दिया है

बाद की अधिसूचनाएं सिविल अपील्स @एसएलपी ओ नंबर के मामले में तथ्यों के समान हैं। 28194-28201 2010 के इन सभी अपीलों का भी इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा निर्णय और निपटान किया जाता है।

8. भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने 2008 की अधिसूचना संख्या 16 को इस आधार पर रद्द करने और रद्द करने में भौतिक रूप से गलती की है कि यह पूर्वव्यापी है और पूर्वव्यापी नहीं है और यह वचन बहिष्कार के सिद्धांत द्वारा वर्जित है।

8.1 इसे निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाता है:

कि उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष आक्षेपित अधिसूचना की उचित रूप से सराहना नहीं की है और/या उस पर विचार नहीं किया है और इस प्रकार उच्च न्यायालय ने 2008 की अधिसूचना संख्या 16 का गलत अर्थ निकाला गया और/या गलत पढ़ा गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने 2008 की अधिसूचना संख्या 16 को छूट लाभ की वापसी और/या अधिसूचना दिनांक 31.07.2001 द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहन की वापसी के रूप में मानने और/या विचार करने में गलती की है। यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार 2008 की आक्षेपित अधिसूचना संख्या 16 स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति की थी और इसे छूट लाभ की वापसी और/या अधिसूचना दिनांक 31.07.2001 द्वारा पहले प्रदान किए गए प्रोत्साहन की वापसी नहीं कहा जा सकता है। [2020] 7 एस. सी. आर

8.2 उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि

लेवी और शुल्क के संग्रह से छूट देने के लिए इस तरह की छूट को रद्द करने, संशोधित करने या वापस लेने की शक्ति अपने आप में शामिल है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क का भुगतान करने का दायित्व तब उत्पन्न होता है जब कोई कर योग्य घटना होती है। धारा 5 ए के तहत जारी छूट अधिसूचना सामान्य परिस्थितियों में शुल्क संग्रह को निलंबित करने को प्रभावित नहीं करेगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में

छूट अधिसूचना में निर्धारित शर्तों और जनहित में दी गई थी। इस प्रकृति की ऐसी छूट को निरस्त, रद्द, संशोधित या परिवर्तित किया जा सकता है या कानून के तहत राज्य की वैधानिक शक्ति के प्रयोग के अधीन किया जा सकता है जैसा कि धारा 5 ए की भाषा से स्पष्ट है।

8.3 उच्च न्यायालय ने यह स्वीकार नहीं करने में गलती की है कि सरकार ने वैध रूप से अधिसूचनाएं जारी की हैं। अनुदान का प्रावधान

शुल्क के नकद भुगतान किए गए हिस्से की वापसी और ऐसे उत्पाद शुल्क की पूरी राशि के क्रेडिट की पात्रता ने कुछ बेईमान निर्माताओं को विभिन्न प्रकार की कर चोरी की रणनीति में लिप्त होने के लिए प्रेरित किया था। आबकारी विभाग द्वारा दर्ज मामलों और उद्योग संघ से प्राप्त अभ्यावेदन के विश्लेषण से सरकार द्वारा दी गई छूट के दुरुपयोग का पता चला था जो केवल वास्तविक निर्माताओं के लिए उपलब्ध थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे बेईमान निर्माताओं द्वारा अपनाई जा रही कार्यप्रणाली से पता चलता है कि ऐसे बेईमान निर्माता वस्तुओं के वास्तविक उत्पादन और उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं की आपूर्ति/निकासी के बिना केवल बिक्री चालान जारी करके फर्जी उत्पादन की सूचना दे रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप देश के अन्य हिस्सों में वास्तविक उत्पादन किए बिना और माल की वास्तविक प्राप्ति के अभाव में ऐसी उत्पाद शुल्क वस्तुओं के खरीदारों द्वारा सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाना; इन क्षेत्रों में ऐसी इकाइयों द्वारा फर्जी उत्पादन की सूचना देना जहां वास्तविक उत्पादन देश में कहीं और होता है; माल के अधिक मूल्यांकन के परिणामस्वरूप खरीदारों द्वारा अतिरिक्त क्रेडिट का लाभ उठाना; निर्माताओं, आयातकों द्वारा इन इकाइयों को बिक्री चालान जारी किए बिना माल की आपूर्ति की गई थी और इन्हें उन व्यापारियों द्वारा जारी किए गए नकली बिक्री चालान द्वारा समर्थित किया गया था जिन्होंने माल की वास्तविक आपूर्ति नहीं की थी। इन वस्तुओं के वास्तविक आपूर्तिकर्ता ने अन्य निर्माताओं को फर्जी शुल्क भुगतान चालान जारी किए, जिन्होंने माल की प्राप्ति के बिना ऐसे चालानों के आधार पर ऋण लिया। इस तरह की गतिविधियों का पता लगाने के बाद

छूट/प्रोत्साहन देने के उद्देश्य और उद्देश्य के खिलाफ बेईमान निर्माता, इसलिए, सरकार अधिसूचना संख्या के साथ आई। 16 2008 का जिसे भारत और अन्य का स्पष्टीकरणात्मक संघ कहा जा सकता है।

8.4 कि उच्च न्यायालय ने बाद की अधिसूचना जारी करने के कारणों की उचित रूप से सराहना और/या विचार नहीं किया है। 2008 की अधिसूचना संख्या 16, जिसे स्पष्टीकरणात्मक कहा जा सकता है, जारी करने का कारण यह था कि इस तरह की कार्यप्रणाली को अपनाकर, इन क्षेत्रों में इकाइयां शुल्क की अधिकतम राशि नकद में देना चाहती थीं ताकि वे नकद में भुगतान की गई शुल्क की पूरी राशि की वापसी के दावे के हकदार बन सकें। इस पहलू को सत्यापित करने के लिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा इस क्षेत्र आधारित छूट का लाभ उठाने वाली इकाइयों द्वारा नकद और सेनवैट क्रेडिट खाते से भुगतान किए गए शुल्क के प्रतिशत का पता लगाने के लिए एक अध्ययन किया गया था। इन विवरणों की प्राप्ति पर, देश भर की सभी इकाइयों के लिए एक ही उद्योग समूहों के शुल्क भुगतान विवरण के साथ उनकी तुलना की गई ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या निर्दिष्ट क्षेत्रों में इकाइयों द्वारा नकद में भुगतान किए गए शुल्क का प्रतिशत देश के बाकी हिस्सों में इकाइयों के साथ तुलनीय है। इन विवरणों के विश्लेषण से स्पष्ट रूप से पता चला है कि निर्दिष्ट क्षेत्रों में उद्योग क्षेत्र भुगतान कर रहे थे समान वस्तुओं पर पी. एल. ए. के माध्यम से शुल्क के अखिल भारतीय भुगतान की तुलना में नकद में शुल्क का बहुत अधिक प्रतिशत यानी व्यक्तिगत खाता खाते (पी. एल. ए.) के माध्यम से। इस प्रकार उत्पाद शुल्क छूट का दुरुपयोग किया गया जिसे जनहित में समीचीन माना जाता था और केंद्र सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों या कच्छ जैसे क्षेत्रों में वास्तविक औद्योगीकरण के प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ दिया गया था, जो प्राकृतिक आपदा के कारण पीड़ित थे। उत्पाद शुल्क छूट का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है और इस तरह के हेरफेर किए गए कृत्यों के प्रभाव को सरकार के संज्ञान में लाया गया था। उत्पाद शुल्क में छूट प्रदान करने की सरकार की नीति और इरादा वास्तविक के संबंध में था

इन क्षेत्रों में विनिर्माण गतिविधियाँ की जाती हैं। उत्पाद शुल्क में छूट देने के सरकार के इरादे को प्रकट करने वाली नीति की पूरी उत्पत्ति केवल वास्तविक मूल्य पर ही ऐसी छूट प्रदान करना था इन क्षेत्रों में किया गया जोड़। इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में और ऐसी नीति को प्रभावी बनाने के लिए, सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए धनवापसी तंत्र को संशोधित किया ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि उत्पाद शुल्क धनवापसी की अनुमति केवल उन क्षेत्रों में विनिर्माण गतिविधियों को करने वाले निर्माताओं द्वारा किए गए वास्तविक मूल्यवर्धन पर देय शुल्क की सीमा तक ही दी जाएगी। उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेपित अधिसूचना के परिणामस्वरूप, निर्माताओं को माल के पूर्ण मूल्य [2020] 7 एस. सी. आर. पर शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।

उनके द्वारा उसी तरीके से निर्मित और साफ किया गया जैसा कि मौजूदा है।

योजना लेकिन धनवापसी केवल भुगतान किए गए शुल्क की सीमा तक दी जाएगी

नकद और सेनवैट क्रेडिट में भुगतान किए गए शुल्क के प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत के आधार पर इन निर्दिष्ट क्षेत्रों में उनके द्वारा किया गया मूल्यवर्धन;

आय का ब्याज। 8.6 भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने विवादित फैसले पर जोर देते हुए आगे की दलीलें दी हैं

और उच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार पारित आदेशः

8.6. 1 कि केंद्र सरकार के पास प्रदान करने की शक्ति है

सार्वजनिक हित में शर्त के साथ या बिना शर्त के माल पर शुल्क से पूरी तरह से या आंशिक रूप से छूट। शक्ति के प्रयोग के लिए मार्गदर्शक कारक जनहित है। जब केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5 ए के तहत छूट अधिसूचना जारी की गई थी, तो इसमें यह निहित था कि यदि जनहित की मांग है तो इसे किसी भी समय रद्द या संशोधित किया जा सकता है।

8.6. 2 संशोधन अधिसूचना गैर-भेदभावपूर्ण है और सभी उद्योगों के साथ समान व्यवहार करती है। यह केवल छूट की मात्रा को तर्कसंगत बनाता है

कुल देय शुल्क पर धनवापसी की दर का प्रस्ताव। कराधान के क्षेत्र में, न्यायालय राजकोषीय नीति में हस्तक्षेप करने में धीमा होगा, विशेष रूप से जब यह कुछ शर्तों की पूर्ति पर छूट/प्रोत्साहन के संबंध में जारी किया जाता है और जब यह सार्वजनिक हित में और राजस्व के हित में होता है। आर. के. गर्ग बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा गया है। भारत संघ (1981) 4 एस. सी. सी. 675; कि मूल अधिसूचना के मूल सिद्धांत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने केवल सेनवैट उपयोग के अलावा अन्य माध्यमों से भुगतान किए गए शुल्क की वापसी से संबंधित अधिसूचना के प्रावधानों को सुव्यवस्थित किया है।

8.6. 3 दिनांक 31.07.2001 की अधिसूचना जारी करने से पहले,

लोगों और व्यापार और उद्योग का प्रतिनिधित्व कि भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों को कर अवकाश प्रदान किया जाए। सरकार ने शर्तों के अधीन, आई. डी. 1 दिनांकित छूट अधिसूचना जारी किए गए अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए, छूट योजना के पीछे का इरादा नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करके तत्काल नए निवेश को आकर्षित करना था ताकि रोजगार पैदा किया जा सके। इन छूटों की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है ताकि उन छूटों को समाप्त किया जा सके जो भारत संघ और अन्य संघ से अधिक समय तक रहे हैं।

उनकी उपयोगिता, सरकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, दुरुपयोग और राजस्व विचार पर अंकुश लगाने के लिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह समीक्षा अभ्यास का एक हिस्सा था और दुरुपयोग की रिपोर्टों की पृष्ठभूमि में 27.3.2008 दिनांकित संशोधन अधिसूचना जारी की गई थी;

8.6. 4 कानून के तहत शक्तियों के प्रयोग के खिलाफ वचन बहिष्कार के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है;

8.6. 5 प्रतिभूति रोक का प्रतिबंध वित्तीय वर्ष में लागू नहीं होता है।

मामले;

8.6. 6 न्यायालय को अधिसूचना को एक अनुमान के साथ देखना होगा

वैधता की, और उपलब्ध सामग्री की पर्याप्तता को मापने के लिए सूक्ष्म दृश्य के साथ मामले की जांच नहीं करना;

8.6. 8 प्रोमिसरी एस्टोपल के सिद्धांत का आह्वान करते समय सीमाएँ हैं। यदि कानून ने वापस लेने की शक्ति की अनुमति दी है एक ही प्राधिकरण, इसके परिणामस्वरूप सिद्धांत को क़ानून के उल्लंघन में काम करने की अनुमति मिल सकती है;

8.6. 9 'प्रोमिसरी एस्टोपेल' शब्द का अर्थ है कि एक पक्ष को अपने स्वयं के कार्यों से दूसरे को नुकसान पहुंचाने के अधिकार का दावा करने से रोका जाता है। पार्टी जो इस तरह के आचरण पर भरोसा करने का हकदार था और उसने तदनुसार कार्य किया है;

8.6.10 सरकार द्वारा दी गई छूटों के संबंध में, यदि सरकार के रुख में बदलाव सार्वजनिक नीति के कारण किया जाता है, तो प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत लागू नहीं होगा।

भारत (1995) 1 एस. सी. सी. 274, दर्शन ऑयल (पी) लिमिटेड बनाम। भारतीय संघ (1995) 1 एस. सी. सी. 345, श्रीजी सेल्स कॉर्पोरेशन बनाम। भारत संघ (1997) 3 एस. सी. सी. 398, एस. टी. ओ. बनाम श्री दुर्गा ऑयल मिल्स (1998) 1 एस. सी. सी. 572, पापू स्वीट्स एंड बिस्किट्स बनाम। व्यापार कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश (1998) 7 एस. सी. सी. 228, राजस्थान राज्य बनाम। महावीर ऑयल इंडस्ट्रीज (1999) 4 एस. सी. सी. 357, श्री सिद्धबली स्टील्स लिमिटेड बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2011) 3 एस. सी. सी. 193, विदेश व्यापार महानिदेशक बनाम। कनक निर्यात (2016) 2 एस. सी. सी. 226 और

सीमा शुल्क आयुक्त बनाम। दिलीप कुमार एंड कंपनी (2018) 9 एससीसी 1.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8.8 भारत संघ की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने ठीक से नहीं किया है

इस तथ्य की सराहना की कि 2008 की अधिसूचना संख्या 16 द्वारा, इस प्रकार, पिछली नीति में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं किया गया है और इसलिए, अधिसूचना संख्या 39/2001 दिनांक 31.07.2001 में अधिसूचना संख्या 16/2008 में संशोधन को पहले से किए गए वादे के लाभ की वापसी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि बाद की अधिसूचना उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित वचन बहिष्कार के सिद्धांत से प्रभावित है। 8.9 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुँचने में गलती की है कि बार ऑफ प्रॉमिसरी एस्टोपेल

छूट लाभों को वापस लेकर भारत संघ के खिलाफ काम करेगा और लाभ/प्रोत्साहन को वापस लेने की नीति पूर्वव्यापी है और पूर्वव्यापी नहीं है।

9. संबंधित उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता/वकील-उच्च न्यायालय के समक्ष मूल रिट याचिकाकर्ता,

उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश का समर्थन करते हुए जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने विवादित अधिसूचना सं. 16 2008 का दिनांक 27.03.2008 इस आधार पर कि छूट की वापसी पूर्वव्यापी है और पूर्वव्यापी नहीं है-सक्रिय और इस आधार पर भी कि यह वचन रद्द करने के सिद्धांत से प्रभावित है। 9.1 संबंधित उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता/वकील-मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने

निम्नलिखित प्रस्तुतियाँः 9.1. 1 गुजरात राज्य के कच्छ जिले में आई. डी. 1 पर एक बड़े भूकंप ने लगभग पूरे औद्योगिक क्षेत्र को नष्ट कर दिया।

उक्त जिले में आधारभूत संरचना। उद्योग को पुनर्जीवित करने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क छूट अधिसूचना संख्या 39/2001-सीई दिनांक 31.07.200 जारी करके भूकंप प्रभावित जिले कच्छ में नए उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की। अधिसूचना ने गुजरात के कच्छ जिले में स्थापित नई औद्योगिक इकाइयों से हटाई गई वस्तुओं को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की, जो नकद/पी. एल. ए. में भुगतान की गई शुल्क की राशि के बराबर था, यानी भारत के सेनवेट संघ और अन्य के उपयोग द्वारा भुगतान की गई शुल्क की राशि के अलावा माल पर भुगतान किया गया शुल्क।

एम/एस वी. वी. एफ. लिमिटेड और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

वित्त मंत्रालय ने गुजरात राज्य के कच्छ जिले के लिए वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए छूट की योजना को अधिसूचित किया था। तत्कालीन राज्य सरकार ने 09.11.2001 पर एक बिक्री कर प्रोत्साहन योजना की भी घोषणा की, जिसमें कहा गया कि विनाशकारी भूकंप के कारण कच्छ जिले में आर्थिक गतिविधि ठप हो गई है। यदि नया निवेश होता है तो रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। नए उद्योगों के लिए उत्पाद शुल्क में छूट पर ध्यान देना

भारत सरकार द्वारा घोषित, राज्य सरकार ने एक बिक्री कर प्रोत्साहन योजना भी शुरू की जो केवल उन उद्योगों के लिए उपलब्ध होगी जो उत्पाद शुल्क प्रोत्साहन के लिए पात्र थे।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए 2008 की अधिसूचना संख्या 16 द्वारा आक्षेपित संशोधन ने वचन बहिष्कार के सिद्धांत का उल्लंघन किया है। 9.2 प्रोमिसरी एस्टोपेल के सिद्धांत के उल्लंघन पर निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

9.2. 1 अधिसूचना संख्या 16/2008 दिनांकित 27.03.2008, संशोधित

अधिसूचना संख्या 39/2001-सी. ई. में यह प्रावधान किया गया है कि धनवापसी का लाभ उनके द्वारा किए गए मूल्यवर्धन के संदर्भ में दिया जाएगा।

कच्छ जिले में विनिर्माण इकाइयाँ। उत्तरदाताओं द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए अधिसूचना 16/2008-सी. ई. द्वारा अनुमानित रूप से 34 प्रतिशत का मूल्यवर्धन तय किया गया था। उक्त अधिसूचना में केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा ऐसी स्थिति में विशेष दर निर्धारित करने का भी प्रावधान किया गया है जहां [2020] 7 एस. सी. आर.

वास्तविक मूल्यवर्धन मानित मूल्यवर्धन 34 प्रतिशत से अधिक था। उक्त संशोधन के परिणामस्वरूप जहां तक उत्तरदाताओं का संबंध है, नकद/पी. एल. ए. में भुगतान किए गए पूरे शुल्क की वापसी से प्रोत्साहन को घटाकर कुल शुल्क का 34 प्रतिशत कर दिया गया था। इस प्रकार उत्तरदाताओं को भुगतान किए गए शुल्क के 66 प्रतिशत तक का नुकसान उठाना पड़ा, जिसे वह अब तक धनवापसी के रूप में पाने का हकदार था।

9.2. 2 03.09.2008 से उत्तरदाता द्वारा निर्मित उत्पादों के काल्पनिक मूल्यवर्धन को 75 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया था। उत्तरदाताओं ने

इसलिए भुगतान किए गए शुल्क का 25 प्रतिशत तक नुकसान हुआ, जिसे वह धनवापसी के रूप में नहीं मांग सकता था।

9.2. 3 अधिसूचना संख्या 16/2008 द्वारा अधिसूचना 39/2001 में किया गया संशोधन और उसमें किए गए संशोधनों का केंद्र सरकार द्वारा दिए गए वादे से मुकरने का प्रभाव पड़ा।

वाणिज्यिक शुरू होने की तारीख से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि के लिए नकद/पी. एल. ए. में भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के माध्यम से प्रोत्साहन उत्पादन। यह इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून है कि सरकार

अपने वादे को लागू करने के लिए बाध्य है, यदि किसी व्यक्ति ने सरकार द्वारा किए गए एक स्पष्ट वादे पर कार्य करते हुए अपनी स्थिति को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया है, सिवाय और ऐसी स्थिति को छोड़कर जहां प्रोत्साहन वापस लिया जाता है।

लोक हित के पर्यवेक्षण के आधार पर उचित ठहराया गया।

9.2. 4 प्रोमिसरी एस्टोपल के सिद्धांत की प्रयोज्यता पर, उत्तरदाता संघ के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हैं।

भारत का वी। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड (1985) 4 एस. सी. सी. 369, पौरनामी ऑयल मिल्स बनाम। केरल राज्य 1986 (पूरक) एस. सी. सी. 728, श्री बकुल ऑयल इंडस्ट्रीज बनाम। गुजरात राज्य (1987) 1 एस. सी. सी. 31, पवन अलॉयज एंड कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड (1997) 7 एस. सी. सी. 251, दाई इची करकरिया लिमिटेड बनाम। भारत संघ (2000) 4 एस. सी. सी. 57, महाबीर सब्जी तेल (पी) लिमिटेड बनाम। हरियाणा राज्य (2006) 3 एस. सी. सी. 620, पंजाब राज्य बनाम नेस्ले इंडिया (2004) 6 एस. सी. सी. 465, एम. आर. एफ. लिमिटेड। सहायक बिक्री कर आयुक्त (2006) 6 एस. सी. सी. 702, दक्षिणी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड v. ईटीआईओ (2007) 5 एससीसी 447;

9.2. 5 इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस बात की जांच करके कि क्या प्रोत्साहन में कटौती करने वाले तथ्य और परिस्थितियां वास्तव में सार्वजनिक हित में थीं या नहीं ताकि प्रोत्साहन को बीच में ही वापस लेने को उचित ठहराया जा सके, तय किए गए प्रोमिसरी एस्टोपल के सिद्धांत को सही ढंग से लागू किया है। 9.3 वास्तव में मूल अधिसूचना संख्या 39/2001 के तहत वादा किया गया प्रोत्साहन मूल्यवर्धन की सीमा पर निर्भर नहीं था।

यह भारत का संघ और एक और बनाम है। एम/एस वी. वी. एफ. लिमिटेड और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

प्रस्तुत किया कि इस अवधारणा को केवल 2008 की विवादित अधिसूचना संख्या 16 द्वारा पेश किया गया था; 9.4 नकद/पी. एल. ए. में भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के माध्यम से छूट दी गई थी। पी. एल. ए. से भुगतान जरूरी नहीं कि मूल्य पर शुल्क हो।

जोड़ते हैं। यह प्रस्ताव कि पी. एल. ए. से भुगतान इस तरह के मूल्यवर्धन का प्रतिनिधित्व करता है, केवल तभी अच्छा हो सकता है जब अंतिम उत्पादों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले निवेश शुल्क का भुगतान किए गए हों और निवेश और अंतिम उत्पादों पर शुल्क की दरें समान हों।

9.5 अधिसूचना संख्या 16/2008 दिनांक 27.03.2008, अधिसूचना संख्या में संशोधन। 33/2008 दिनांक 10.06.2008 और 51/2008 दिनांक 03.10.2008 यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरकार ने स्वयं इस अवधारणा को समाप्त कर दिया है

1 से प्रभावी मूल्यवर्धन, तैयार माल के लिए, जिसका प्रारंभिक कच्चा माल एक प्राकृतिक उत्पाद/खनिज था, और इसलिए शून्य निवेश चरण शुल्क के अधीन, इस तरह के निवेश का उपयोग करने वाले अंतिम उत्पादों के संबंध में धनवापसी विशेष दर के विकल्प के बिना, भुगतान किए गए शुल्क के 75 प्रतिशत की मनमाने दर पर तय की गई थी, चाहे अनुमानित मूल्यवर्धन कुछ भी हो।

आबकारी अधिनियम और स्वयं अधिसूचना के तहत, इस तरह के किसी भी दुरुपयोग के लिए अपराधियों पर अंकुश लगाने, कटौती करने और उन्हें दंडित करने के लिए, अन्यथा राजस्व को बिना उनकी गलती के प्रतिकूल परिणाम भुगतने होंगे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिसूचना स्वयं विशेष रूप से ब्याज के साथ धनवापसी की वसूली के लिए प्रदान करती है यदि इस तरह के धनवापसी का गलत दावा/मंजूरी दी गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए विवादित को जारी करने के लिए तथाकथित उद्देश्य और उद्देश्य

अधिसूचना अतार्किक और मनमाना है और इस तरह पहले की छूट अधिसूचना को वापस लेने का आधार नहीं हो सकता है।

परिणामः

स्पष्टीकरणात्मक और इसलिए इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है। भारत संघ की ओर से यह भी मामला है कि बाद में मूल अधिसूचना में अधिसूचना/संशोधन किसी भी तरह से [2020] 7 एस. सी. आर. नहीं था।

2001 की मूल पहली अधिसूचना के आधार को बदलना। भारत संघ की ओर से यह भी मामला है कि 2008 की बाद की अधिसूचना जनहित में जारी की गई है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है।

इसलिए, इस न्यायालय के विचार के लिए जो प्रश्न उठाए गए हैं, वे यह हैं कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बाद के जिस अधिसूचना को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है और 2008 की अधिसूचना संख्या 16 दिनांकित आई. डी. 1 के रूप में दरकिनार कर दिया गया है, उसे स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का कहा जा सकता है और क्या यह कहा जा सकता है कि यह 2001 की पूर्व अधिसूचना के अनुसार प्रदत्त निहित अधिकार को छीन लेता है और क्या

इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है और क्या यह जनहित में जारी किया गया है और क्या यह वादा रोकने के सिद्धांत से प्रभावित है?

11. उपरोक्त प्रश्नों पर विचार करते समय और उससे पहले

2008 की बाद की अधिसूचना की प्रकृति पर विचार करते हुए, पूर्वव्यापीता/स्पष्टीकरण/प्रयोज्यता पर इस न्यायालय के कुछ निर्णय राजकोषीय कानून में वचन संबंधी रोक का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जो निम्नानुसार हैं:

11.1 कासिंका ट्रेडिंग (ऊपर) के मामले में, पैराग्राफ 12 में,

20 और 23, यह निम्नानुसार मनाया और आयोजित किया जाता है:

" 12. इस न्यायालय द्वारा यह तय किया गया है कि प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत सरकार के खिलाफ भी लागू होता है। विशेष रूप से जहां धोखाधड़ी या प्रकट अन्याय को रोकना आवश्यक है। हालाँकि, इस सिद्धांत को सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को "एक कार्य करने के लिए" मजबूर करने में सहायता के लिए नहीं दबाया जा सकता है।

प्रतिनिधित्व या वादा जो कानून के विपरीत है या जो सरकार के अधिकारी या सार्वजनिक प्राधिकरण के अधिकार या शक्ति से बाहर था। न्यायिक राय की प्रचुरता है कि वचन के सिद्धांत को लागू करने के लिए स्पष्ट, ठोस और सकारात्मक नींव याचिका में ही सिद्धांत का आह्वान करने वाले पक्ष द्वारा रखी जानी चाहिए और यह कि गंजे भाव, बिना किसी सहायक सामग्री के, इस प्रभाव के लिए कि सिद्धांत आकर्षित होता है क्योंकि सिद्धांत का आह्वान करने वाले पक्ष ने सरकार के आश्वासन पर भरोसा करते हुए अपनी स्थिति को बदल दिया है।

सिद्धांत की सहायता के लिए दबाव डालने के लिए पर्याप्त। हमारी राय में, वचन निरसन के सिद्धांत को सार में लागू नहीं किया जा सकता है और अदालतें सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए बाध्य हैं, जिसमें प्राप्त किए जाने वाले परिणाम और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक भलाई शामिल हैं, क्योंकि जबकि भारत का संघ और अन्य v.

एम/एस वी. वी. एफ. लिमिटेड और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

यदि यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिखाया जा सकता है कि सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने वादे, आश्वासन के लिए पकड़ना असमान होगा या प्रतिनिधित्व।

20. हमारे समक्ष अपीलों के तथ्य भारत-अफगान एजेंसियों [(1968) 2 एस. सी. आर. 366 के तथ्यों के अनुरूप नहीं हैं: एयर

1968 एससी 718] या एम. पी. शुगर मिल्स [(1979) 2 एस. सी. सी. 409: 1979 एस. सी. सी. (कर) 144: (1979) 2 एससीआर 641]। पहले मामले में याचिकाकर्ता ने उसमें किए गए स्पष्ट वादों पर कार्रवाई की थी और

उसे दिए गए विशिष्ट आश्वासन पर माल का निर्यात किया गया और इस तथ्य की स्थिति में यह अभिनिर्धारित किया गया कि योजना का प्रतिपादन करने वाले वस्त्र आयुक्त उसके आश्वासन से बाध्य थे और उसके तहत किए गए वादे को पूरा करने के लिए बाध्य थे। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, मामलों के वर्तमान समूह में न तो अधिसूचना एक कार्यकारी चरित्र की है और न ही यह किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई योजना का प्रतिनिधित्व करती है। यह जनहित में जारी एक अधिसूचना थी और फिर से जनहित में वापस ले ली गई। जहाँ तक दूसरा मामला है (एम. पी. शुगर मिल्स मामला [(1979) 2 एस. सी. सी. 409: 1979 एस. सी. सी. (कर) 144: (1979) 2 एस. सी. आर. 641]) चिंतित है कि तथ्य पूरी तरह से अलग थे। आपस में हुए पत्राचार में राज्य और उसमें याचिकाकर्ताओं को यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उद्योग को प्रारंभिक वर्षों की एक विशेष संख्या के लिए बिक्री कर से छूट दी जाएगी, लेकिन जब राज्य ने बिक्री कर लगाने की मांग की तो इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह ऐसा करने से वर्जित था क्योंकि उसने याचिकाकर्ताओं को लिखित पत्रों के माध्यम से स्पष्ट प्रतिनिधित्व किया था, जिन्होंने उस पर भरोसा किया था और उद्योग की स्थापना की थी।

23. अपीलार्थी इस धारणा में प्रतीत होते हैं कि भले ही, परिवर्तित बाजार स्थितियों में, छूट देना भले ही उचित न हो, फिर भी सरकार उन्हें अतिरिक्त लाभ देने के लिए इसे जारी रखने के लिए बाध्य थी। निश्चित रूप से यह वह उद्देश्य नहीं था जिसके साथ अधिसूचना जारी की गई थी। "जनहित में" छूट को वापस लेना एक नीतिगत मामला है और अदालतें सरकार को अपने नीतिगत फैसलों [2020] 7 एस. सी. आर. के लिए बाध्य नहीं करेंगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आने वाले सभी समय के लिए, सरकार की संतुष्टि के बावजूद कि नीति में बदलाव आवश्यक था

" जनहित "। अदालतें राजकोषीय नीति में हस्तक्षेप नहीं करती हैं, जहां सरकार "जनहित" में काम करती है और न ही किसी धोखाधड़ी या ईमानदारी की कमी का आरोप लगाया जाता है। सरकार को वित्त के उपयोग के मामले में प्राथमिकताएं निर्धारित करने और अधिनियम की धारा 25 (1) के तहत छूट अधिसूचना जारी करने या संशोधित करने या वापस लेने के दौरान जनहित में कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहना होगा।

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि वचन बहिष्कार के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है

यदि यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिखाया जा सकता है कि सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने वादे, आश्वासन या प्रतिनिधित्व के लिए पकड़ना असमान होगा। यह भी अभिनिर्धारित किया जाता है कि छूट अधिसूचना उन वस्तुओं को ऐसी वस्तु नहीं बनाती है जो सीमा शुल्क आदि के अधिरोपण के अधीन हैं और जो इस तरह के शुल्क के लिए अधिरोपणीय नहीं हैं। यह केवल सीमा शुल्क आदि के लेवी और संग्रह को पूरी तरह से या आंशिक रूप से और ऐसी शर्तों के अधीन करता है जो सरकार द्वारा "जनहित" में अधिसूचना में निर्धारित की जा सकती हैं। अपनी प्रकृति से ऐसी छूट को निरस्त या संशोधित या अन्य नियमों के अधीन किए जाने की संभावना है। शर्तें। "जनहित" में छूट अधिसूचना का अधिक्रमण या निरसन स्वयं कानून के तहत राज्य की वैधानिक शक्ति का एक प्रयोग है। यह भी माना गया है कि सामान्य खंड अधिनियम के तहत एक प्राधिकरण जिसके पास अधिसूचना जारी करने की शक्ति है, उसके पास इसी तरह से अधिसूचना को रद्द करने या संशोधित करने की निस्संदेह शक्ति है। यह देखा गया है कि "जनहित में" छूट वापस ली गई है।

यह नीति का विषय है और अदालतें सरकार को आने वाले सभी समय के लिए अपने नीतिगत फैसलों के लिए बाध्य नहीं करेंगी, भले ही सरकार को इस बात का संतोष हो कि नीति में बदलाव जनता के लिए आवश्यक था।

ब्याज "। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां सरकार "जनहित" में कार्य करती है और न तो किसी धोखाधड़ी या प्रामाणिकता की कमी का आरोप लगाया जाता है, तो अदालत के लिए इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। एक ही।

11.2 श्रीजी सेल्स कॉर्पोरेशन (उपरोक्त) के मामले में, यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत हो सकता है

11.4 महावीर ऑयल इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) के मामले में, कासिंका ट्रेडिंग के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर विचार करने के बाद (ऊपर), एक समान दृष्टिकोण लिया गया है और यह देखा गया है कि जनहित की आवश्यकता है कि राज्य ऐसी स्थिति में अपने द्वारा किए गए वादे से बंधा रहे। लेकिन यह राज्य को योजना की अवधि के दौरान भी संभावित रूप से लाभ वापस लेने से नहीं रोकता है, अगर सार्वजनिक हित की आवश्यकता है। यहां तक कि ऐसे मामले में भी जहां किसी पक्ष ने वादे पर काम किया है, यदि कोई ऐसा लोकहित है जिसके लिए लाभ वापस लेने या योजना को संशोधित करने की आवश्यकता है, तो वह लोकहित किसी भी वादा रोकने पर हावी होगा।

11.5 श्री सिद्धबली स्टील्स लिमिटेड (ऊपर) के मामले में,

पैराग्राफ 32 और 33 में इसे इस प्रकार देखा और अभिनिर्धारित किया गया हैः

" 32. प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत अब इस न्यायालय के निर्णयों के एक समूह द्वारा अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त और अच्छी तरह से परिभाषित है। जहाँ सरकार जानने या इरादा रखने का वादा करती है

कि वादा करने वाला उस पर अमल करेगा और वास्तव में वादा करने वाला उस पर भरोसा करते हुए अपनी स्थिति बदल देगा, सरकार वादे से बंधी रहेगी और वादा लागू करने योग्य होगा।

वादा करने वाले के कहने पर सरकार के खिलाफ

इसके बावजूद कि वादे और [2020] 7 एस. सी. आर. पर कोई विचार नहीं किया गया है।

वादा एक औपचारिक अनुबंध के रूप में दर्ज नहीं किया गया है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 229 द्वारा आवश्यक है। प्रोमिसरी एस्टोपल के नियम को एक न्यायसंगत सिद्धांत होने के कारण इसके अनुरूप ढाला जाना चाहिए

विशेष स्थिति। यह एक कठोर और त्वरित नियम नहीं है, बल्कि एक लोचदार नियम है, जिसका उद्देश्य पक्षों के बीच न्याय करना और उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना है। यह सिद्धांत समानता द्वारा विकसित एक सिद्धांत है, जो अन्याय से बचने के लिए है और हालांकि इसे आम तौर पर प्रोमिसरी एस्टोपेल कहा जाता है, यह न तो अनुबंध के दायरे में है और न ही बहिष्कार के दायरे में है। वचन रद्द करने के सिद्धांत को लागू करने के लिए प्रतिज्ञाकर्ता को यह स्थापित करना होगा कि उसे नुकसान हुआ है या उसने वचन पर भरोसा करके अपनी स्थिति में बदलाव किया है।

33. आम तौर पर, कार्यपालिका के आधार पर सरकार और बचाव पक्ष के खिलाफ प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत लागू किया जा रहा है

अदालत द्वारा आवश्यकता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालाँकि, यदि सरकार द्वारा यह दिखाया जा सकता है कि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि वे बाद में सामने आए हैं, सरकार को उसके द्वारा किए गए वादे पर कायम रखना असमान होगा, तो अदालत वादा करने वाले के पक्ष में समानता नहीं उठाएगी और सरकार के खिलाफ वादे को लागू करेगी। जहाँ लोकहित की आवश्यकता होती है, वचन रोधन के सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता है। द.

सरकार जनहित में नीति में बदलाव कर सकती है। हालाँकि, यह अच्छी तरह से तय है कि इस सिद्धांत से संकेत लेते हुए, प्राधिकरण

कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जिसकी कानून द्वारा अनुमति नहीं है या कानून द्वारा निषिद्ध है। कानून के तय किए गए प्रस्ताव के खिलाफ कोई वादा नहीं है। कानून के विपरीत किए गए वादे को लागू करने के लिए प्रोमिसरी एस्टोपल के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है। क्योंकि किसी को भी कानून के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है

एक ऐसा प्रावधान जो कानून के विपरीत हो। इस प्रकार, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, जब लोक हित वारंट करता है,

प्रोमिसरी एस्टोपल के प्रस्तावों को लागू नहीं किया जा सकता है।

यह आगे माना जाता है कि प्रोमिसरी एस्टोपल का नियम एक

सक्षम सिद्धांत को विशेष स्थिति के अनुरूप ढाला जाना चाहिए। यह है।कठोर और तेज लेकिन एक लोचदार शासन, जिसका उद्देश्य पक्षों के बीच न्याय करना और उनके साथ न्यायसंगत व्यवहार करना है।

12. अब, जहाँ तक संबंधित मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वकील द्वारा किए गए निर्णयों पर भरोसा किया गया है-उत्तरदाता भारत संघ और अन्य बनाम।

एम/एस वी. वी. एफ. लिमिटेड और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

एक बार जब यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेपित बाद की अधिसूचनाएँ/औद्योगिक नीतियाँ - प्रकृति में स्पष्टीकरणात्मक और यह पिछली अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों के तहत प्रदत्त किसी भी निहित अधिकार को नहीं छीनता है, जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, उनमें से कोई भी मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

प्रत्याभेदी/स्पष्टिकरण पर मामला कानून

13. भारतीय स्टेट बैंक के मामले में v. वी. रामकृष्णन

(2018) 17 एस. सी. सी. 394, यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि पूर्वव्यापी संचालन के खिलाफ धारणा घोषणात्मक कानूनों पर लागू नहीं होती है। के लिए आधुनिक उद्देश्यों के लिए एक घोषणात्मक अधिनियम को सामान्य कानून, या किसी कानून के अर्थ या प्रभाव के बारे में मौजूद संदेहों को दूर करने के लिए एक अधिनियम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस तरह के अधिनियमों को आमतौर पर पूर्वव्यापी माना जाता है।

13.1 बिहार राज्य के मामले में v. रमेश प्रसाद वर्मा

(2017) 5 एस. सी. सी. 665 में यह देखा गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कानून का बल रखने वाला कोई भी कानून या साधन, यदि स्पष्टीकरणात्मक, घोषणात्मक या प्रकृति और उद्देश्य में व्याख्यात्मक है, तो विशेष रूप से मूल अधिनियम या नियमों या अधिसूचनाओं में पूर्वव्यापीता के विपरीत किसी भी संकेत के अभाव में पूर्वव्यापी संचालन होगा।

13.2 भारत संघ के मामले में v. मार्टिन लॉटरी एजेंसियाँ

लिमिटेड (2009) 12 एस. सी. सी. 209 में यह अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित किया गया है कि क्या किसी अधीनस्थ विधान या संसदीय क़ानून को स्पष्टीकरणात्मक या घोषणात्मक माना जाएगा, यह उसकी प्रकृति के साथ-साथ उस उद्देश्य पर भी निर्भर करेगा जिसे वह प्राप्त करना चाहता है।

13.3 टी. एन. विद्युत बोर्ड बनाम के मामले में स्थिति एसपीजी। मिल्स लिमिटेड (2008) 7 एस. सी. सी. 353 में यह देखा गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक स्पष्टीकरणात्मक आदेश को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जा सकता है क्योंकि यह समकालीन व्याख्या के सिद्धांत द्वारा मूल प्रावधान पर प्रकाश डाल सकता है।

13.4 ज़िले सिंह बनाम के मामले में। हरियाणा राज्य (2004) 8 एस. सी. सी. 1, यह देखा गया है कि पूर्वव्यापी संचालन के खिलाफ धारणा घोषणात्मक कानूनों पर लागू नहीं होती है। इसलिए, अधिनियम की प्रकृति का निर्धारण करने में, रूप के बजाय सार को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कोई नया अधिनियम किसी पूर्ववर्ती अधिनियम की "व्याख्या" करने के लिए है, तो इसका तब तक कोई उद्देश्य नहीं होगा जब तक कि इसका पूर्वव्यापी अर्थ न लगाया जाए। एक व्याख्यात्मक अधिनियम आम तौर पर एक स्पष्ट चूक प्रदान करने या पिछले अधिनियम के अर्थ के बारे में संदेह को दूर करने के लिए पारित किया जाता है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि कोई क़ानून उपचारात्मक है या केवल पिछले कानून के पूर्वव्यापी संचालन की घोषणात्मक है

आम तौर पर इरादा। एक संशोधन अधिनियम [2020] 7 एस. सी. आर. को मंजूरी देने के लिए विशुद्ध रूप से घोषणात्मक हो सकता है।

मूल अधिनियम का एक प्रावधान जो पहले से ही निहित था। इस प्रकार के संशोधन का पूर्वव्यापी प्रभाव पड़ेगा।

"मत्स्य के हस्तक्षेप" पर मामला कानून

ट्यूट्स "

13.5 . आर. के. गर्ग बनाम के मामले में भारत संघ (1981) 4 एससीसी

उनके न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की और अभिनिर्धारित कियाः

" 8. XXX XXX

न्यायालय को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि "कानून व्यावहारिक समस्याओं के लिए निर्देशित है, कि आर्थिक तंत्र अत्यधिक संवेदनशील और जटिल है, कि कई समस्याएं एकवचन और आकस्मिक हैं, कि कानून अमूर्त प्रस्ताव नहीं हैं और अमूर्त इकाइयों से संबंधित नहीं हैं और अमूर्त समरूपता द्वारा मापा नहीं जाना है"; "कि सटीक ज्ञान और उपचार का अच्छा अनुकूलन हमेशा संभव नहीं होता है" और यह कि "निर्णय काफी हद तक एक भविष्यवाणी है जो अल्प और आकस्मिक पर आधारित है।

अव्याख्यायित अनुभव "। प्रत्येक विधान विशेष रूप से

आर्थिक मामले अनिवार्य रूप से अनुभवजन्य होते हैं और ये इन पर आधारित होते हैं -

प्रयोग या जिसे कोई परीक्षण और त्रुटि विधि कह सकता है और इसलिए यह सभी संभावित स्थितियों के लिए प्रदान नहीं कर सकता है या सभी संभावित दुरुपयोगों का अनुमान नहीं लगा सकता है। इसमें खामियां और असमानताएं हो सकती हैं।

जटिल प्रयोगात्मक आर्थिक कानून, लेकिन केवल इसी कारण से इसे अमान्य नहीं माना जा सकता है। अदालतें ऐसा नहीं कर सकतीं।

कृषि सचिव बनाम में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंगित किया गया। सेंट्रल रॉयग रिफाइनिंग कंपनी [94 एल एड 381: 338 यू. एस. 604 (1950)] को ऐसी क्रूरताओं और असमानताओं से राहत के लिए न्यायाधिकरणों में परिवर्तित किया जाए। दुरुपयोग की संभावनाएं भी हो सकती हैं, लेकिन वह भी अपने आप में कानून को अमान्य करने का आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी विधायिका के लिए यह अनुमान लगाना संभव नहीं है जैसे कि किसी दैवीय विवेक, विकृतियों और इसके दुरुपयोग से।

कानून जो इसके प्रावधानों के अधीन लोगों द्वारा बनाया जा सकता है और इस तरह के विकृतियों और दुरुपयोग के खिलाफ प्रावधान कर सकता है। वास्तव में, इसके निर्माण पर कितना भी ध्यान दिया जाए, ऐसे कानून की कल्पना करना मुश्किल है जो विकृत मानव सरलता द्वारा दुरुपयोग किए जाने में सक्षम न हो। इसलिए न्यायालय को ऐसे विधान की संवैधानिकता का निर्णय अपने प्रावधानों की व्यापकता के आधार पर करना चाहिए, न कि इसकी खामियों या असमानताओं या इसके किसी भी प्रावधान के दुरुपयोग की

संभावनाओं के आधार पर। यदि कोई लापरवाही, असमानता या दुरुपयोग की संभावनाएं सामने आती हैं, तो विधायिका हमेशा कदम उठा सकती है और उपयुक्त संशोधनकारी कानून बना सकती है।

भारत का वह संघ और एक और बनाम। एम/एस वी. वी. एफ. लिमिटेड और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

यह व्यावहारिक दृष्टिकोण का सार है जिसे जटिल आर्थिक मुद्दों से निपटने में विधायिका का मार्गदर्शन और प्रेरणा करनी चाहिए।

13.6 सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) v. दिलीप कुमार एंड कंपनी (2018) 9 एस. सी. सी. 1, विभिन्न बातों पर विचार करने के बाद

राजकोषीय कानूनों की व्याख्या पर निर्णय, अंततः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सीमा स्तर पर प्रभार, गणना और छूट खंडों सहित प्रत्येक कर कानून की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए। इसके अलावा, हालांकि प्रभारित प्रावधानों में अस्पष्टता के मामले में, लाभ अनिवार्य रूप से निर्धारिती के पक्ष में जाता है, लेकिन छूट अधिसूचना या छूट खंड के लिए अस्पष्टता के लाभ की सख्ती से राजस्व/राज्य के पक्ष में व्याख्या की जानी चाहिए।

यह आगे देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि छूट का दावा करने वाला व्यक्ति,

इसलिए, यह स्थापित करना होगा कि उसका मामला पूरी तरह से छूट अधिसूचना के भीतर आता है, और ऐसा करते समय, अस्पष्टता के मामले में निर्धारिती के खिलाफ एक अधिसूचना का अर्थ लगाया जाना चाहिए। छूट का दावा करने वाले व्यक्ति को अपना मामला स्थापित करना होता है। 14. बाद की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों के लिए उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए, जो उच्च न्यायालय के समक्ष विषय थे और नीचे बताए गए कारणों के लिए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालयों के समक्ष संबंधित अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों को कहा जा सकता है -

प्रकृति में स्पष्टीकरणात्मक और इसे संदेह को दूर करने के लिए एक अधिनियम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि बाद की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों द्वारा पहले की अधिसूचनाओं के तहत अर्जित/दिए गए लाभों को छीनने की मांग की गई थी। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि बाद की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों से पहले की अधिसूचनाओं के तहत अर्जित अधिकारों को छीन लिया गया था।

14.1 पहले की संबंधित अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को नई अधिसूचना जारी करने के लिए प्रोत्साहित करना था। क्षेत्र में उद्योग ताकि रोजगार पैदा किया जा सके और उसके लिए नकद या पी. एल. ए. में भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क को वापस करने के लिए प्रोत्साहन की पेशकश की गई, अर्थात्, द्वारा भुगतान की गई शुल्क की राशि

सेनवैट क्रेडिट द्वारा भुगतान किए गए उपयोग द्वारा भुगतान की गई शुल्क राशि के अलावा अन्य वस्तुओं का निर्माता। वही शर्तों के अधीन था कि यह नई औद्योगिक इकाइयों पर लागू होगा, यानी वे इकाइयाँ जो आधिकारिक राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन पर और उसके बाद स्थापित की जाती हैं, यानी 31.07.2003 के बाद नहीं। अधिसूचना को समय-समय पर संशोधित किया गया था। हालाँकि, पहले की अधिसूचनाओं के संचालन के दौरान, यह [2020] 7 एस. सी. आर. था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह देखा गया कि शुल्क के नकद भुगतान किए गए हिस्से की वापसी और इस तरह के उत्पाद शुल्क के खरीदारों को शुल्क की पूरी राशि देने के प्रावधान ने कुछ बेईमान निर्माताओं को विभिन्न प्रकार की कर चोरी की रणनीति में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। यह आबकारी विभाग द्वारा दर्ज मामलों के विश्लेषण और यहां तक कि सरकार द्वारा दी गई छूट के दुरुपयोग के बारे में उद्योग संघ से प्राप्त अभ्यावेदन पर सामने आया, जो केवल वास्तविक निर्माताओं के लिए उपलब्ध था। यह निम्नानुसार देखा गया:

i) वस्तुओं के वास्तविक उत्पादन और आपूर्ति के बिना केवल बिक्री चालान जारी करके फर्जी उत्पादन की सूचना देना /

उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की निकासी। इसके परिणामस्वरूप देश के अन्य हिस्सों में वास्तविक उत्पादन किए बिना इस तरह के उत्पाद शुल्क के खरीदारों द्वारा सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाया जा सकेगा

माल की वास्तविक प्राप्ति के अभाव में।

ii) इन क्षेत्रों में ऐसी इकाइयों द्वारा नकली उत्पादन की सूचना देना जहां वास्तविक उत्पादन देश में कहीं और होता है।

(iii) वस्तुओं के अधिक मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अतिरिक्त ऋण का लाभ मिलता है।

खरीदारों द्वारा।

iv) बिक्री चालान जारी किए बिना इन इकाइयों को निर्माताओं, आयातकों द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है और ये उन व्यापारियों द्वारा जारी किए गए नकली बिक्री चालान द्वारा समर्थित होते हैं जो वस्तुओं की वास्तविक आपूर्ति नहीं करते हैं। इन वस्तुओं का वास्तविक आपूर्तिकर्ता अन्य निर्माताओं को फर्जी शुल्क भुगतान चालान जारी करता है जो माल की प्राप्ति के बिना ऐसे चालान के आधार पर ऋण लेते हैं।

इसलिए, सरकार विवादित के साथ सामने आई

अधिसूचना/औद्योगिक नीतियाँ कि उत्पाद शुल्क की वापसी वास्तविक पर प्रदान की जाएगी और वास्तविक मूल्यवर्धन के आधार पर गणना की जाएगी। पहले की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि धनवापसी देने का उद्देश्य वास्तविक विनिर्माण गतिविधियों पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क को वापस करना था। इरादा नहीं था कि वास्तविक विनिर्माण/विनिर्माण गतिविधियों की परवाह किए बिना और भले ही माल वास्तव में निर्मित नहीं हैं, लेकिन कागज पर निर्मित हैं, कागज पर निर्मित उत्पाद शुल्क की वापसी होगी। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि बाद की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों का उद्देश्य कर चोरी को रोकना था। यह कहा जा सकता है कि बाद की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों द्वारा, वे केवल छूट की मात्रा को तर्कसंगत बनाते हैं और वास्तविक निर्मित वस्तुओं पर देय कुल शुल्क पर धनवापसी की दर का प्रस्ताव करते हैं।

उस समय भारत संघ और एक अन्य बनाम एम/एस वी. वी. एफ. लिमिटेड और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

जब पहले की अधिसूचनाएं जारी की गई थीं, तो सरकार ने यह कल्पना नहीं की थी कि इस तरह की कार्यप्रणाली का पालन किया जाएगा।

बेईमान निर्माता जो विभिन्न प्रकार की कर चोरी की रणनीति में लिप्त होते हैं। केवल अनुभव से और मामलों के विश्लेषण से पता चला है कि आबकारी विभाग को बेईमान निर्माताओं द्वारा की जा रही ऐसी कर चोरी की रणनीति के बारे में पता चला, जिसने सरकार को बाद की अधिसूचनाओं के साथ आने के लिए प्रेरित किया, जो, जैसा कि ऊपर देखा गया है, धनवापसी तंत्र को स्पष्ट करने के लिए था ताकि यह प्रदान किया जा सके कि उत्पाद शुल्क धनवापसी की अनुमति केवल संबंधित क्षेत्रों में विनिर्माण गतिविधियों का उपक्रम करने वाले निर्माता द्वारा किए गए वास्तविक मूल्यवर्धन पर देय शुल्क की सीमा तक ही दी जाएगी। उत्पाद शुल्क छूट/भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क की वापसी देने के सरकार के इरादे को प्रकट करने वाली नीति की पूरी उत्पत्ति केवल संबंधित क्षेत्रों में किए गए वास्तविक मूल्यवर्धन के लिए ऐसी छूट प्रदान करना था। चूंकि यह पाया गया कि उत्पाद शुल्क छूट का दुरुपयोग किया गया था, इसलिए इसे जनहित में समीचीन माना गया और पिछड़े क्षेत्रों या संबंधित क्षेत्रों में वास्तविक औद्योगिकीकरण के प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ, सरकार द्वारा बाद की अधिसूचनाएं/औद्योगिक नीतियां जारी की गई हैं। इसलिए, संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष बाद की अधिसूचनाएं/औद्योगिक नीतियां जनहित में थीं और कर चोरी के मामलों के गहन विश्लेषण के बाद और रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भी जारी की गई थीं। इससे पहले की अधिसूचनाएं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5 ए के तहत जारी की गई थीं

और यहाँ तक कि बाद की अधिसूचनाएँ जो सार्वजनिक हित में और राजस्व के हित में जारी की गई थीं, उन्हें भी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5 ए के तहत जारी किया गया था, जिसे कानून की दृष्टि से खराब, मनमाना और/या वचन-भंग के सिद्धांत से प्रभावित नहीं कहा जा सकता है।

14.2 मूल योजना का उद्देश्य केवल निर्मित वस्तुओं पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क की वापसी का लाभ देना नहीं था।

कागज या वास्तव में बिल्कुल भी निर्मित नहीं। चूंकि मूल अधिसूचनाओं/प्रोत्साहन योजनाओं का उद्देश्य इस तरह की अनैतिकता से निराश होना था जिन निर्माताओं ने विभिन्न प्रकार की कर चोरी की रणनीति अपनाई थी, बाद की अधिसूचनाएं/औद्योगिक नीतियां जारी की गई हैं, जिनमें उत्पादन करने वाले निर्माताओं द्वारा किए गए वास्तविक मूल्यवर्धन पर देय शुल्क की सीमा तक ही उत्पाद शुल्क की वापसी की अनुमति दी गई है।

इन क्षेत्रों में गतिविधियाँ जो प्रोत्साहन योजना के बिल्कुल अनुरूप हैं और इन क्षेत्रों में की गई वास्तविक विनिर्माण गतिविधियों के संबंध में ही उत्पाद शुल्क में छूट प्रदान करने का सरकार का इरादा है।

14.3 जैसा कि ऊपर देखा गया है, बाद की अधिसूचनाएं/औद्योगिक नीतियां पहले की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों के तहत प्रदत्त किसी भी निहित अधिकार को नहीं छीनती हैं। बाद की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों के तहत, नए उपक्रम स्थापित करने वाले व्यक्तियों को उत्पाद शुल्क का रिफंड मिलता रहेगा। हालांकि, बाद की अधिसूचनाओं द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उत्पाद शुल्क की वापसी होगी

विनिर्माण गतिविधियों को शुरू करने वाले निर्माताओं द्वारा किए गए वास्तविक मूल्यवर्धन पर भुगतान किए गए वास्तविक उत्पाद शुल्क पर होगा। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि बाद की अधिसूचनाएँ/औद्योगिक नीतियाँ वचन-निषेध के सिद्धांत से प्रभावित होती हैं। संबंधित उच्च न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित करने में गंभीर त्रुटि की है कि संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष आक्षेपित बाद की अधिसूचनाएं/औद्योगिक नीतियाँ वचन-निरसन के सिद्धांत से प्रभावित थीं। जैसा कि यहाँ ऊपर देखा और आयोजित किया गया है, बाद की अधिसूचनाएँ/औद्योगिक नीतियाँ जो विवादित थीं संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का कहा जा सकता है और उन्हें व्यापक लोक हित में और राजस्व के हित में जारी किया गया है, उन्हें पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है, अन्यथा संबंधित क्षेत्रों में की जाने वाली वास्तविक विनिर्माण गतिविधियों के संबंध में केवल उत्पाद शुल्क छूट प्रदान करने का सरकार का उद्देश्य और इरादा विफल हो जाएगा। चूंकि बाद की अधिसूचनाएं/औद्योगिक नीतियां पहले की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों की "व्याख्या" करने के लिए हैं, इसलिए जब तक इसका पूर्वव्यापी रूप से अर्थ नहीं लगाया जाता है, तब तक यह बिना किसी आपत्ति के रहेगा। बाद की अधिसूचनाएँ इससे पहले की गई थीं

संबंधित उच्च न्यायालय वास्तविक शुल्क पर भुगतान की गई उत्पाद शुल्क की वापसी की राशि की गणना करने का तरीका और विधि प्रदान करते हैं।

वस्तुओं का निर्माण। संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष आक्षेपित अधिसूचनाओं को उत्पाद शुल्क की वापसी के निर्धारण पर मोड प्रदान करने के उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कहा जा सकता है।

प्रोत्साहन/छूट। जैसा कि ऊपर देखा गया है, वे पहले की अधिसूचनाओं के तहत प्रदत्त किसी भी निहित अधिकार को नहीं छीनते हैं। इसलिए बाद की अधिसूचनाएं प्रकृति में स्पष्टीकरणात्मक हैं, क्योंकि यह वास्तविक रूप से भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क की वापसी की घोषणा करती है और वस्तुओं के वास्तविक निर्माण पर भुगतान किया जाता है, न कि केवल कागज पर निर्मित वस्तुओं पर भुगतान किए गए शुल्क पर और ऐसी वस्तुओं की किसी भी विनिर्माण गतिविधियों को किए बिना। 15. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए और एक बार यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि बाद की अधिसूचनाएं/औद्योगिक नीतियां जो संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष आक्षेपित की गई थीं, वे स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति की हैं और जनहित और राजस्व के हित में जारी की गई हैं और वे भारत संघ की स्थापना पर निवेश करने के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित करते हुए प्रोत्साहन/छूट देने के मूल उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती हैं।

16 इन परिस्थितियों में, संबंधित उच्च न्यायालयों ने संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष आक्षेपित बाद की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों को इस आधार पर रद्द करने और दरकिनार करने में गंभीर त्रुटि की है कि वे पूर्वव्यापी हैं और पूर्वव्यापी नहीं हैं। नतीजतन, इन सभी अपीलों की अनुमति है। संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश, जो वर्तमान अपीलों में विवादित हैं, संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष संबंधित रिट याचिकाओं में आक्षेपित बाद की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों को रद्द और अलग करते हुए, इसके द्वारा रद्द कर दिए जाते हैं और अलग कर दिए जाते हैं। नतीजतन, संबंधित मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष दायर मूल रिट याचिकाएं संबंधित बाद की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों को खारिज कर दिया जाता है और ऊपर बताए गए कारणों से संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष संबंधित बाद की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों को चुनौती दी जाती है। हालांकि, यह स्पष्ट है कि वर्तमान

निर्णय पहले से ही वापस की गई उत्पाद शुल्क की राशि को प्रभावित नहीं करेगा, जिसका अर्थ है कि जिन मामलों में संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष बाद की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों से पहले ही उत्पाद शुल्क वापस कर दिया गया है, उन्हें फिर से नहीं खोला जाना है। हालांकि, यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि लंबित धनवापसी आवेदन होंगे -

बाद की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों के अनुसार निर्णय लिया गया जो संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष विवादित थीं और उनका निर्णय कानून और गुण-दोष के अनुसार और संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष विवादित बाद की अधिसूचनाओं/औद्योगिक नीतियों के अनुसार किया जाएगा। इन सभी अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है। कोई लागत नहीं।

16.1 अब, जहाँ तक सिविल अपील्स @एसएलपी ओ नंबर की बात है। 14751/2013 , 14752/2013 और 14753/2013 संबंधित हैं, अधिसूचना की चुनौती

नं. 16 / 2008 - सी. ई. और 33/2008 सी. ई. फेल और आबकारी अधिकारियों ने वास्तव में बाद की अधिसूचना संख्या के अनुरूप उत्पाद शुल्क की वापसी की अनुमति दी है। 16 / 2008 - सी. ई. और 33/2008 सी. ई. उच्च न्यायालय, जिन्हें अब इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है, वर्तमान अपीलें खारिज किए जाने के योग्य हैं और तदनुसार खारिज की जाती हैं। कोई लागत नहीं।

माम

लों का निपटारा किया गया।

दिव्या पांडे